परिचय 1

1.1 परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से लगभग 160 कि.मी. एवं जयपुर से 150 कि. मी. की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला की नैसर्गिक वादी में खूबसूरत झीलों एवं घने जंगलों से आच्छादित अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं वाणिज्यिक केन्द्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास नीतियों के क्रियान्वयन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका आंकी गई है। यह शहर दिल्ली एवं जयपुर जैसे दो महत्वपूर्ण महानगरों के मध्य स्थित होने के कारण दोनों महानगरों के समीपस्थ एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है। राजस्थान प्रदेश का गठन होने से पूर्व यह शहर अलवर रियासत की राजधानी रहने के कारण अपने अतीत काल में भी प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

अलवर की महत्ता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना 2021 के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय शहर के रूप में चिन्हित किया गया है तथा यहाँ पर भौतिक, आर्थिक एवं जनसुविधा सम्बन्धित आधारभूत संरचना का समुचित विकास कर इसे अधिक सक्षम बनाने का सुझाव है। सत्तर के दशक में यहाँ पर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया जिसमें अनेक वृहत उद्योगों की स्थापना हुई और शहर के विकास को एक नया आयाम मिला। पूर्व में जयपुर से दिल्ली के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 अलवर से होकर जाता था, परन्तु 1970 के बाद इसके मार्ग में परिवर्तन कर इसे कोटपूतली-शाहजहापुर, धारूहेडा के रास्ते दिल्ली तक बनाया गया। फलस्वरूप अलवर के उत्तर-पश्चिम में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर भिवाड़ी, धारूहेडा, शाहजहाँपुर, बाबल, निमराना, बहरोड आदि क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुये, जिसके कारण अलवर में औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ गयी।

विगत वर्षो में अलवर का शहरी विकास नये आयाम का रूप ले रहा है। यहाँ पर अनेक उच्च शैक्षणिक संस्थान एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए है। शहर में पर्यटकों के आकर्षण के लिए अनेक ऐतिहासिक स्मारक, किले, मन्दिर, जलाशय आदि स्थल है, अतः पर्यटन व्यवसाय की दृष्टि से भी अलवर एक महत्वपूर्ण शहर है।

विगत 20 वर्षो में यहाँ अनेक रिहायशी कॉलोनियाँ, चौडी सड़के, बाईपास रोड, मथुरा-अलवर रेलमार्ग आदि की स्थापना होने से यहाँ शहरी विकास को गति मिली है। अलवर का विकास सामान्यतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हो रही वित्तीय सहायता तथा उसके अनुक्रम में बड़े पैमाने पर भूमि अवाप्ति कर योजनाबद्ध रूप से किये गये विकास के कारण अन्य शहरों की अपेक्षा नियोजित ढंग से हो रहा है। अलवर के नियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प.स.एफ 1(11) टी.पी/2/72 दिनांकः 06.02.1990 द्वारा मास्टर प्लान का अनुमोदन किया गया था तथा उक्त मास्टर प्लान की अवधि वर्ष 2001 में समाप्त होनी थी परन्तु मास्टर प्लान में प्रस्तावित 5,00,000 की जनसंख्या की अपेक्षा 2001 में केवल 2.66 लाख जनसंख्या होने के कारण मास्टर प्लान की अवधि सितम्बर 2012 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा अलवर के लिए नया मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुक्रम में, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, राज्य सरकार की अधिसूचनाओं दिनांकः 13.10.2011 एवं दिनांकः 17.09.2012 द्वारा 88 गाँवों को सम्मिलित करते हुए, अलवर का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, तथा मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर) राजस्थान को इसका मास्टर प्लान बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवास विकास लिमिटेड, जयपुर को सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसने नित्या अरबन स्केप, जयपुर को मास्टर प्लान बनाने का कार्य दिया। उक्त कंसल्टेन्ट द्वारा, अलवर शहर के मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक भौतिक सर्वेक्षण किये गये तथा विभिन्न स्त्रोतों से आंकड़ो एवं सूचनाओं का संकलन किया गया। पुराने मास्टर प्लान के प्रस्तावों एवं उनके

क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी एवं तद्नुसार नये मास्टर प्लान के लिए नीति का निर्धारण किया गया।

अलवर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, जन प्रतिनिधियों एवं विकास कार्य में लगे हुए राजकीय विभागों के अधिकारियों से अलवर की समस्याओं एवं भविष्य में विकास की सम्भावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, दिनांक: 10 मार्च 2012 को, अलवर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। इसमें जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी आंमत्रित किया गया। मुख्य नगर नियोजक (NCR) एवं मास्टर प्लान बनाने के लिए अधिकृत सलाहकार द्वारा अलवर के वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के विकास की सम्भावनाओं का चित्रण किया गया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा अलवर शहर के विकास बाबत बहुमूल्य सुझाव दिये गये। आमजन से जिला कलेक्टर अलवर की विभागीय वेबसाइट पर व नगर विकास न्यास अलवर में 22 मार्च तक सुझाव देने का निवेदन भी किया गया।

इस सम्बन्ध में 50 आन लाईन सूझाव प्राप्त हुये साथ ही स्थानीय प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से भी आमजन द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये। नगर विकास न्यास अलवर कार्यालय में भी कुल 55 सुझाव प्राप्त हुये।

मास्टर प्लान के प्रस्तावों पर निर्णय लेने में प्राप्त सुझावों को विशेष महत्व दिया गया है तथा इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, मास्टर प्लान का प्रारूप 2031 तैयार किया गया है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप को जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् इस प्रारूप में आवश्यकतानुसार उनको समायोजित करने के पश्चात् इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

विद्यमान विशेषताएँ 2

2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु

अलवर 27^0 34′ उत्तरी अक्षांश एवं 76^0 36′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से उत्तर-पूर्व में यह 150 किलोमीटर एवं राजधानी दिल्ली से 160 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। अलवर की माध्य समुद्रतल से ऊँचाई 268 मीटर है। शहर के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पहाड़ी के तलहटी में, पूर्व की ओर, अलवर शहर स्थित है। शहर का ढाल दक्षिण-पूर्व की तरफ है। शहर के उत्तर-पूर्व में एक नदी है जो शहर तथा आस-पास के वर्षा के पानी के निकास का मुख्य स्त्रोत है। अलवर शहर का भौतिक स्वरूप बहुत आकर्षक है पश्चिमी पहाडी के अतिरिक्त शहर के अन्दर अनेक बिखरी हुई पहाड़ियाँ है। वर्षा ऋतु में हरियाली होने से प्राकृतिक वातावरण बहुत ही रमणीय हो जाता है। अलवर के दक्षिण में जयसमन्द झील है जिसमें वर्षा ऋतु में पानी भरने से सारा वातावरण पक्षियों की चहक से गुंजायमान रहता है। दक्षिण-पश्चिम में सिलीसेड़ झील एवं उत्तर में कडूकी झील प्राकृतिक वातावरण को और भी आकर्षक बना देती है। इन सबके कारण अलवर का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुन्दर है।

यहाँ की जलवायु शुष्क है तथा गर्मी के दिनो में अधिक गर्मी एवं शीत ऋतु में सर्दी का प्रभाव रहता है। यहाँ की औसत वर्षा 640 मीलीमीटर है परन्तु वर्षा की अनिश्चित्ता बनी रहती है। करीब 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर महीनों में हो जाती है। मई और जून के महीने में दिन में दैनिक अधिकतम तापमान 40^0 से 46^0 सेन्टीग्रेट के मध्य रहता है एवं रात्री के समय तापमान 23^0 से 28^0 सेन्टीग्रेट के मध्य रहता है। जनवरी सबसे ठण्डा महीना हैं। इस काल में दिन का औसत अधिकतम तापमान 23^0 सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम 8^0 सेन्टीग्रेट रहता है। जाड़े के दिनों में उत्तर की शीत लहर के प्रभाव में कभी-कभी तापमान 2^0 से 4^0 सेन्टीग्रेट तक गिर जाता है।

आर्द्रता का प्रतिशत 30-40 प्रतिशत के मध्य पाया जाता है, केवल बरसात के मौसम में ही आद्रर्ता 50 से 70 प्रतिशत होती है। मई, जून में यहाँ पर कभी-कभी तीव्र हवाएँ चलती है। जाड़े के मौसम में मुख्यत: उत्तर पश्चिम एवं उत्तर से हवाएँ चलती है। गर्मी के दिनों में पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम से हवाएँ चलती है।

चित्र - 1
मासिक वर्षा विवरण, अलवर

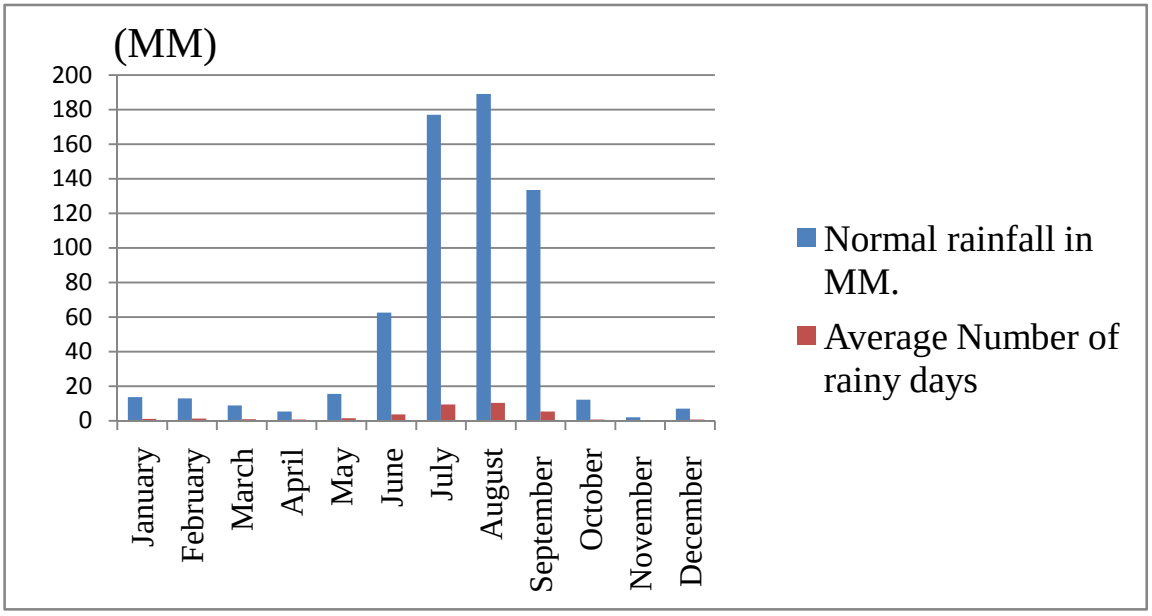

(स्त्रोत: जिला गजेटियर, अलवर)

2.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पुरातत्व इतिहासकार कनिंघम के अनुसार, अलवर का नाम यहाँ पर प्राचीन काल के निवासी सालवा जाति के नाम पर, सलवापुर या सलवर पड़ा। बाद में, यह अलवर नाम से जाना जाने लगा। कुछ विद्वानों के अनुसार, इसका नाम अरावली पहाड़ी से जुड़ा हुआ अलवरपुर था। एक अन्य किवदन्ती के अनुसार, इसका नाम खजदा जाति के सरदार, अलवल खॉन के नाम पर पड़ा, जिसने सन् 1492 ईसवी में निकुम्भ राजपूतों को हराकर अलवर राज्य पर कब्जा किया।

दिल्ली के समीपस्त होने के कारण, अलवर शहर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में अलवर, राज्य मत्स्य राज्य के अन्तर्गत था, जो अलवर-भरतपुर एवं हरियाणा तक विस्तृत था। दिल्ली के राजाओं द्वारा, दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत की विजय यात्रा में यह प्रहरी राज्य के रूप में था। अतः अलवर का इतिहास, अनेक सामरिक घटनाओं से ओतप्रोत रहा है। महाभारत काल में यह विराट राज्य का अंग था। ऐतिहासिक काल में यह मौर्य, हूण, गुर्जर प्रतिहार, शक एवं चौहान राजपूतों के अधीन रहा। सन् 1192 ई. में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, यह दिल्ली के सुल्तान एवं मुगल शासकों के अधीन रहा। सन् 1775 ई. में महाराजा प्रताप सिंह जी ने अलग से अलवर रियासती राज्य की स्थापना की।

बाला किला

अलवर के प्राचीन बाला किला का निर्माण, हसन खान मेवाती द्वारा 1492 ई. में एक पहाड़ी के ऊपर किया गया। इससे पूर्व यहाँ निकुम्भ राजपूतों का अधिपत्य था। बाला किला 590 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है तथा यह 5 किलोमीटर की लम्बाई एवं 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। किले के चारों ओर ऊंचा परकोटा है जिसमें पांच पोल द्वारा प्रवेश सम्भव है। किले के अन्दर सालिमशाह द्वारा एक तालाब का निर्माण किया गया है। किले का दक्षिण दरवाजा या लक्ष्मणपोल पुराने अलवर शहर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। प्राचीन काल में अलवर शहर की आबादी, किले की पहाड़ी के पूर्व तलहटी में विस्तृत थी। अलवर शहर चारों तरफ से ऊंचे परकोटा एवं खाई से सुरक्षित था।

सन् 1775 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा अलग अलवर राज्य की स्थापना के बाद, शहर का तीव्र विकास हुआ। उनके द्वारा, शहर परकोटे का पुननिर्माण करवाया गया था, साथ ही अनेक कंगूरे, मन्दिर एवं भवनों का निर्माण भी करवाया गया। अलवर के अन्य शासकों द्वारा, समय-समय पर अनेक निर्माण करवायें। महाराजा विनय सिंह जी द्वारा, सन् 1848 ई. में सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया। साथ ही सिटी पैलेस के पीछे महाराजा द्वारा एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया गया, जो पक्का है एवं नीचे जाने के लिए सीड़ियाँ बनी हुई है। महाराजा विनय सिंह का शासन काल, 42 वर्षो तक रहा, जिसमें उन्होने शहर में अनेक निर्माण करवायें। जिनमें शहर के दक्षिण में मोती डूंगरी पहाड़ी पर एक छोटा सुन्दर महल, विनय विलास तथा अलवर के समीप दक्षिण में सन् 1845 ई. में सीलीसेड़ पर निर्मित बांध प्रमुख है।

सिटी पैलेस

राजा शिवदान सिंह द्वारा, सन् 1868 इ. में, शहर में कम्पनी बाग (पुरजन विहार) का निर्माण करवाया गया, जिसमें बाद में महराजा मंगल सिंह द्वारा एक छोटा सैरगाह, शिमला के नाम से बनवाया गया। सन् 1874 में यहाँ पर, दिल्ली-जयपुर रेलवे लाईन का आगमन हुआ, जिसके कारण शहर का विकास पूर्व की ओर रेलवे स्टेशन रोड पर हुआ। सन् 1842 में, यहाँ पर अलवर हाई स्कूल की स्थापना हुई तथा वर्ष 1871-72 में अलवर शहर में नगर पालिका की स्थापना हुई।

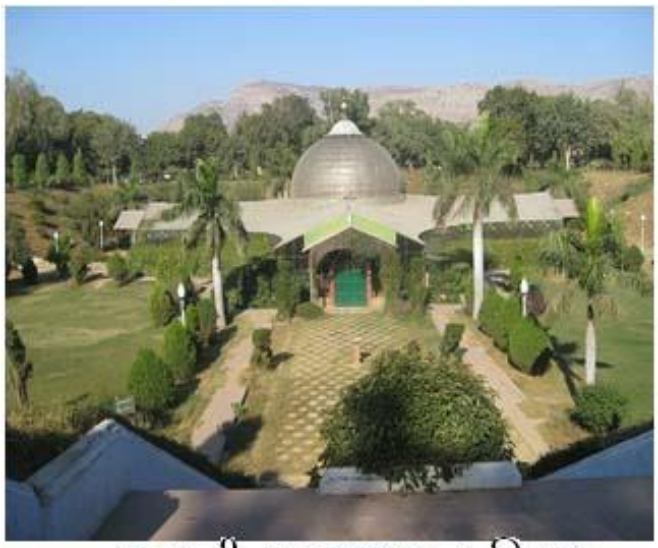
कम्पनी बाग (पुरजन विहार)

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल तक, शहर का विकास मुख्यतया: परकोटे के अन्दर तक ही सीमित रहा है। वर्ष 1939-40 में परकोटे से लगती हुई खाई को समतल कर दिया गया तथा इस पर निर्माण कार्य किये गये। इसी समय दक्षिण में मनु मार्ग एवं उत्तर में विकास पथ का विकास हुआ। यह दोनों योजनाएँ होप सर्कस के उत्तर एवं दक्षिण में विकसित की गयी। होप सर्कस यहाँ का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र होने के कारण, उक्त दोनों योजनाओं को मिलाने वाली सड़क, मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर अनेक आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाएँ विकसित की गयी जिसमें मुख्यतया फ्रेड्स कॉलोनी, आर्य नगर, लाजपत नगर, तेज मण्ड़ी आदि प्रमुख है। रेल्वे लाईन के पूर्व की तरफ के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया। शहर के पश्चिम में विकास पहाड़ी के कारण नहीं हो पाया। अत: शहर का विकास पूर्व एवं उत्तर-पूर्व की ओर ही हुआ। पिछ्ले चार दशकों में नगर का विकास तीव्र गति से हुआ है तथा राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास, अलवर, द्वारा अनेक कॉलोनियाँ बसायी गयी है। वर्ष 1970 के बाद दिल्ली रोड़ के दक्षिण में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के विकास ने शहर को एक नई दिशा प्रदान की। अलवर शहर में रियासती काल में भी चौड़ी ओर सीधी सड़के बनाने का प्रचलन था। नगर विकास न्यास एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी इस परिपाटी का ध्यान रखा गया। अत: अलवर शहर के बाहरी क्षेत्रों में चौड़ी एवं सीधी सड़कों की बहुलता है।

2.3 क्षेत्रीय परिवेश

अलवर शहर जिला मुख्यालय है, अत: सम्पूर्ण जिले के लिए यह एक केन्द्रीय विकास केन्द्र के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता से पूर्व यह अलवर रियासत की राजधानी थी, अत: पूरे क्षेत्र से इसका अर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध था। अलवर जिले का क्षेत्रफल 7829 वर्ग किलोमीटर है तथा यहाँ की भूमि उपजाऊ है। सरसों, बाजरा, गेहू यहाँ की मुख्य फसलें है। उपजाऊ अंचल मे स्थिति होने के कारण यहाँ पर वाणिज्यक एवं व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों एवं अनाज मंडी का भी विकास हुआ।

दिल्ली-अलवर-अहमदाबाद एवं अलवर-मथुरा जैसी बड़ी रेलवे लाईनों के निर्माण के बाद से अलवर का देश के सभी बड़े शहरों यथा (i) पूर्व में कानपुर, कोलकाता (ii) दक्षिण में भोपाल, चेन्नई एवं बैंगलोर तथा (iii) दक्षिण-पश्चिम में अहमदाबाद, मुम्बई जैसे महानगरों से सम्पर्क स्थापित हो गया है। जिसके कारण व्यापारिक गतिविधियों के नये अवसर उपलब्ध हो गये है।

कुछ समय से अलवर में तकनीकी संस्थानों एवं स्वास्थ्य सेवाओं के केन्द्रियकरण की प्रवृति बढ़ी है। जिससे अलवर में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो गये है। इस तरह से अलवर में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों की स्थापना के लिए एक नया माहौल तैयार हो गया है।

पर्याप्त बिजली, सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, औद्योगिक योजनाओं की स्वीकृति के लिए एकल खिड़की योजना, राजस्थान में पूर्व से ही उपलब्ध है। दिल्ली के चारों तरफ विकसित औद्योगिक शहरों (धारूहेडा, मानेसर, बाबल) में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ स्थापित करने के लिए विकसित भूमि की अनुपलब्धता तथा अत्याधिक मूल्य के विपरीत अलवर में इन गतिविधियों को स्थापित करने के लिए उपलब्ध सस्ती विकसित जमीनों के कारण, अलवर शहर का औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्व बहुत बढ़ जाता है।

अलवर शहर के समीप अनेक पर्यटन स्थल है जैसे सरिस्का वन्य अभ्यारण्य, पांडुपोल, भर्तृहरि, तालवृक्ष, नन्दलेश्वर, नीलकण्ठ, अजबगढ़, भानगढ, बैराठ आदि है। इन स्थलों के कारण पर्यटन महत्व का एक वैश्विक केन्द्र बनने की क्षमता रखता है।

अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी योजना 2021 के अन्तर्गत प्राथमिक शहर के रूप में चयनित है। राष्ट्रीय राजधानी योजना की मूल नीतियों में, जिसमें दिल्ली से औद्योगिक इकाईयों, थोक व्यापार एवं भण्डारण तथा केन्द्रिय सरकार के कार्यालयों को प्राथमिक शहरों में स्थानान्तरित किया जाना शामिल है। यद्यपि विगत कुछ वर्षो में इन नीतियों को किन्ही कारणों से क्रियान्वित नहीं किया जा सका, परन्तु अब राष्ट्रीय राजधानी योजना 2021 के अन्तर्गत इस नीति का क्रियान्वयन किये जाने का दृढ़ निश्चय राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड के द्वारा किया गया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रीय राजधानी योजना की नीतियों के अनुरूप अलवर में अनेक नई औद्योगिक, व्यापारिक एवं सरकारी कार्यालयों हेतु आधारित गतिविधियों के स्थापित होने की सम्भावना बनी है। इस तरह से अलवर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है।

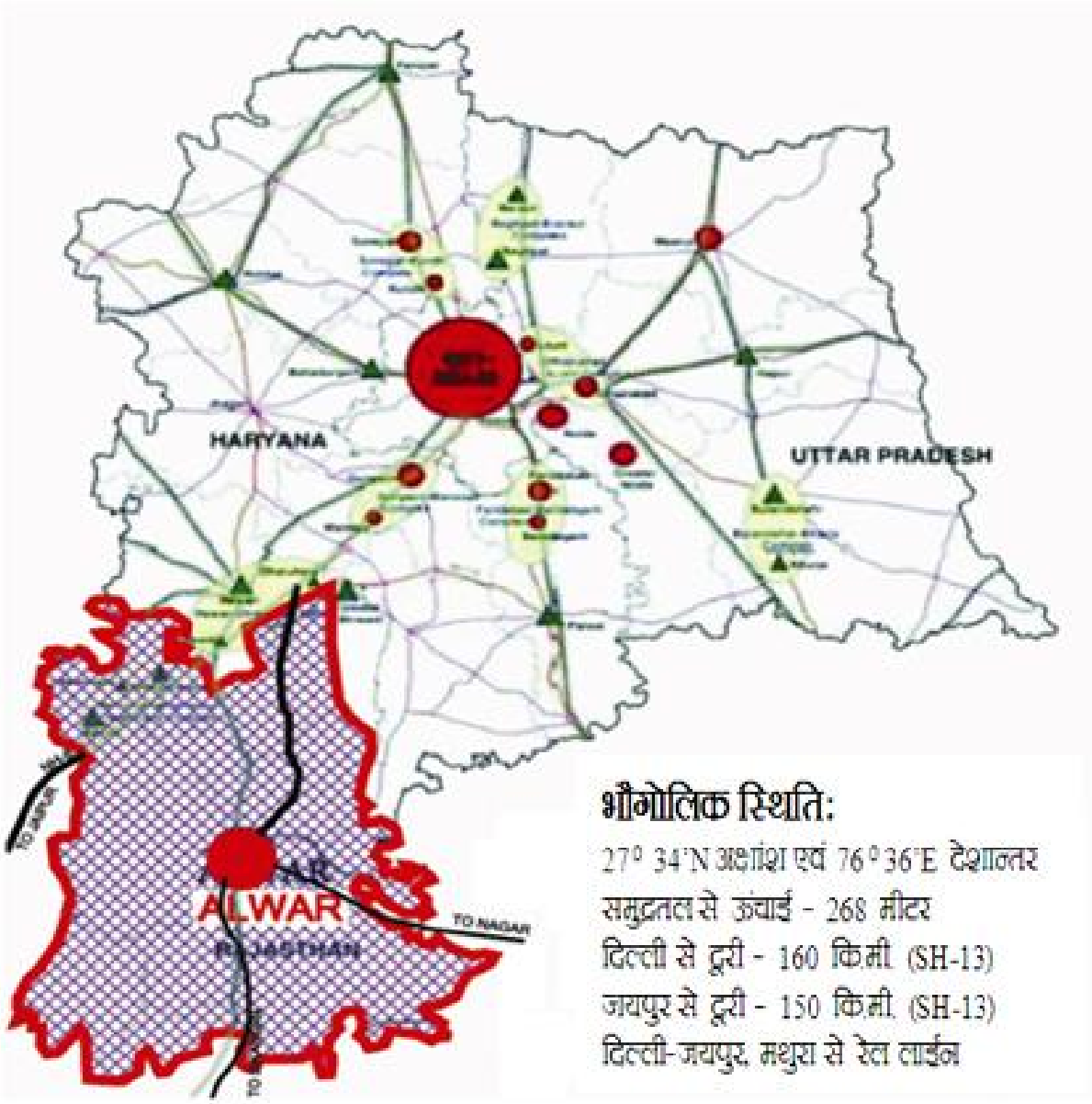

भौगोलिक स्थिति:

27° 34'N अक्षांश एवं 76° 36'E देशान्तर
समुद्रतल से ऊंचाई - 268 मीटर
दिल्ली से दूरी - 160 कि.मी. (SH-13)
जयपुर से दूरी - 150 कि.मी. (SH-13)
दिल्ली-जयपुर, मथुरा से रेल लाईन

2.4 जनांकिकी

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 40 वर्षों में अलवर की जनसंख्या की वृद्धि दर कम रही। वर्ष 1901 में यहाँ की जनसंख्या 56,771 थी, जो वर्ष 1941 में घटकर 54,143 हो गयी। सबसे अधिक जनसंख्या में कमी वर्ष 1901-11 के दशक में हुआ। उस समय यहाँ पर सूखा, अकाल एवं महामारी का प्रकोप था। वर्ष 1941 एवं 1951 के बीच जनसंख्या वृद्धि केवल 6.9 प्रतिशत ही रही। इसका प्रमुख कारण, यहाँ से अधिक संख्या में लोगों का विभाजन के बाद पाकिस्तान को पलायन करना था। पिछले 50 वर्षों में (1961-2011) यहाँ की जनसंख्या में पाँच गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 में अलवर की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो गयी थी तथा वर्ष 2011 में यहाँ की जनसंख्या 3,41,383 थी। गत दशक 2001–2011 के मध्य अलवर शहर का विकास नगर परिषद की सीमा से बाहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना में अलवर शहरी क्षेत्र में समीप के चार गाँवों क्रमशः मन्नका, दिवाकरी, बेलाका और भूगोर को शामिल किया गया है परन्तु अनेक ऐसे भी गाँव है, जो अलवर के विकसित शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए है जैसेः देसूला, लिवारी, गून्दपूर, घिघोली, गोलेटा, रायसीस, भाखेड़ा, बुर्जा, केशरपुर, पालका, नाहरपुर, घौलीदूब आदि। अतः उन्हें भी अलवर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना उचित समझा गया। इन सभी गाँवों को मिलाकर अलवर के विघमान नगरीयकृत क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या वर्ष 2011 में 3,81,400 होती है जो वर्ष 2001 में करीब 2,83,566 थी। अतः अलवर के विघमान नगरीयकृत क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के दशक में 34.6 प्रतिशत के करीब थी। अलवर शहरी क्षेत्र में सम्मिलित गाँवों की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 में 40 प्रतिशत के करीब थी। इस वृद्धि का प्रमुख कारण यहाँ पर होने वाले आर्थिक विकास के कारक जैसेः औद्योगिक क्षेत्र, मण्ड़ी, यातायात सुविधा का विस्तार आदि थे। अलवर की जनसंख्या वृद्धि दर तालिका संख्या - 1 में दर्शाया गया हैः

तालिका - 1

जनसंख्या वृद्धि दर, अलवर (1901-2011)

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि दर
1901	56,771	-
1911	41,305	(-) 27.20
1921	44,760	(+) 08.40
1931	47,900	(+) 07.00
1941	54,143	(+) 13.00
1951	57,868	(+) 06.90
1961	72,707	(+) 25.60
1971	1,00,378	(+) 38.10
1981	1,45,795	(+) 45.30
1991	2,10,146	(+) 44.1
2001	2,66,203	(+) 26.68
2011	3,41,383	(+) 28.24
* 2011	3,81,400	(+) 34.60

(स्त्रोतः जनगणना भारत सरकार, राजस्थान 1901-2011)

*** अलवर विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र में शामिल गाँवों की आबादी को सम्मिलित करते हुए।**

2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अलवर शहर में कार्यशील सहभागिता का अनुपात 28.60 प्रतिशत था। जबकि वर्ष 1981 में यह 26 प्रतिशत था, अतः सहभागिता प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2011 में सहभागिता 30 प्रतिशत अनुमानित है। इस प्रकार सामान्य तौर पर यहाँ का सहभागिता अनुपात अन्य शहरों के समान ही था। वर्ष 1991 में अलवर में 21.70 प्रतिशत व्यक्ति वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुए थे। जो वर्ष 2001 में बढ़कर 22.5 प्रतिशत हो गया। इससे अलवर शहर के एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र होने का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1981 में 25.76 प्रतिशत लोग उद्योगों में कार्यरत थे, जबकि 1991 में यह घटकर 23 प्रतिशत रह गई एवं 2011 में इसके 21.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। अतः इसमें निरन्तर गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण

अलवर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के मार्ग परिवर्तन के कारण है। नये राजमार्ग पर शॉहजहापुर-निमराना-भिवाड़ी-धारूहेडा आदि नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुये, जिससे अलवर में अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो सका। यहाँ की कार्यशील जनसंख्या के करीब 4 से 5 प्रतिशत लोग, निर्माण व्यवसाय में कार्यरत है, जिसमें अधिकतर हिस्सा भवन निर्माण के कुशल कारीगरों का है। जिला मुख्यालय एवं अन्य उच्च व्यावसायिक संस्थानों के कारण यहाँ पर 38.00 प्रतिशत लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 4.5 प्रतिशत लोग ही कृषि, खनन, पशुपालन आदि कार्य में कार्यशील है। अलवर शहर की व्यावसायिक संरचना का विवरण तालिका संख्या - 2 में दर्शाया गया है:

तालिका-2

व्यावसायिक संरचना, अलवर (1981-2011)

क्र.सं.	व्यवसाय	1981		1991		2001		2011	
		कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियाँ	2327	5.98	3559	6.13	3424	4.5	4600	4.0
2	उद्योग	10038	25.76	13342	22.99	16360	21.5	24729	21.5
3	निर्माण कार्य	2095	5.37	2328	4.0	3424	4.5	5176	4.5
4	व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ	8691	22.30	12604	21.70	17122	22.50	25880	22.5
5	परिवहन एवं संचार	3333	8.55	4679	8.06	6848	9.00	10352	9.0
6	अन्य सेवाएँ	12486	32.04	21558	37.12	289915	38.00	44283	38.5
	योग	38970	100.0	58070	100.0	76093	100.0	**115020**	**100%**

(स्त्रोत: जनगणना भारत सरकार राजस्थान जयपुर 1981-2011)

2.6 विद्यमान भू-उपयोग

अलवर के विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र की आबादी वर्ष 2011 में 3.814 लाख है तथा नगर पालिका का क्षेत्रफल 51.38 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें केवल 4070 हैक्टर विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है। शेष भूमि रिक्त पहाड़ी एवं राजकीय आरक्षित भूमि है। सम्पूर्ण नगरीकृत क्षेत्र 5807 हैक्टर है। विकसित शहरी क्षेत्र का 45.60 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय उपयोग में है। यहाँ पर मत्स्य औद्योगिक का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण, 26.00 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग में काम आ रही है, जबकि वाणिज्यिक उपयोग में 4.80 प्रतिशत भूमि है। यहाँ पर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 7.60 प्रतिशत भूमि तथा 13.00 प्रतिशत भूमि रेल्वे, बाईपास सड़क, बस स्टैड, ट्रक स्टैड आदि परिसंचरण उपयोग में शामिल है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के उपयोग में केवल 1.00 प्रतिशत भूमि है तथा 2.0 प्रतिशत भूमि आमोद-प्रमोद एवं मनोरंजन स्थल के रूप में विद्यमान है। विद्यमान भू-उपयोग 2011 का विवरण तालिका संख्या - 3 में दर्शाया गया है:

तालिका-3

विद्यमान भू-उपयोग, अलवर - 2011

क्र.सं.	भू-उपयोग	भू-उपयोग (हैक्टर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	1858	45.60	32.00
2.	वाणिज्यिक	196	4.80	3.50
3.	औद्योगिक	1055	26.00	18.00
4.	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय	42	1.00	0.70
5.	आमोद-प्रमोद	84	2.00	1.50
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	309	7.60	5.30
7.	परिसंचरण	526	13.00	9.00
	कुल विकसित क्षेत्र	**4070**	**100.00**	**70.00**
8.	राजकीय आरक्षित क्षेत्र	1182		20.40
9.	बागात/डेयरी	35		0.60
10.	जलाशय/पहाड़ी	70		1.20
11.	रिक्त क्षेत्र	450		7.80
कुल नगरीयकृत क्षेत्र		**5807**		100.00

स्त्रोत: सर्वेक्षण नित्या अरबन स्केप, जयपुर।

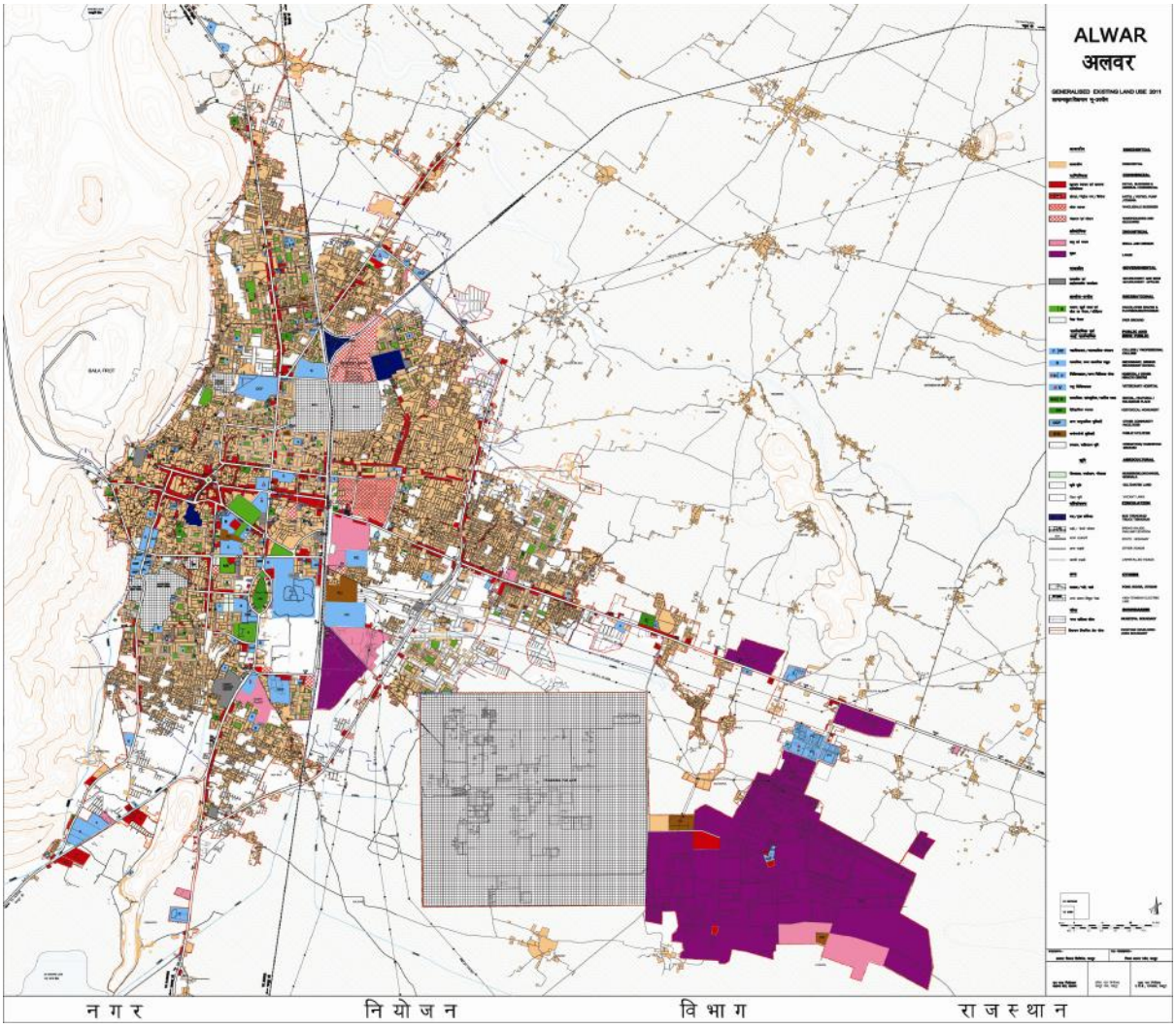

ALWAR
अलवर
GENERALISED EXISTING LAND USE 2011
न ग र
नि यो ज न
वि भा ग
रा ज स्था न

2.6 (1) आवासीय

वर्ष 2011 के भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार, अलवर में आवासीय क्षेत्र 1858 हैक्टर है जो विकसित क्षेत्र का 45.60 प्रतिशत है। इस प्रकार शहर का औसत आवासीय घनता 205 व्यक्ति प्रति हेक्टयर है। अलवर नगरपालिका सीमा 51 वार्डो में विभक्त है। आबादी का घनत्व पुराने आवासीय क्षेत्रों में अधिक है तथा परिधि के क्षेत्रों में कम। अधिक घनत्व शहर के पुराने आबादी वाले क्षेत्र है, जिसमें हिन्दुपाड़ा, मेहताब सिंह का नोहरा, दारूकुटा, मनी का बड़, आदि प्रमुख है, इनका घनत्व 300 व्यक्ति प्रति हैक्टर से अधिक है। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र जिनका आवासीय घनत्व 200-300 व्यक्ति प्रति हैक्टर है, में स्वतंत्रता के बाद में विकसित कॉलोनियाँ जैसेः आर्य नगर, बह्मचारी मौहल्ला, अखेपुरा, धाबाई का बाग, इन्दिरा कॉलोनी आदि है। कम घनत्व वाले क्षेत्र, जिनका घनत्व 100-200 व्यक्ति प्रति हैक्टर में नयी कॉलोनियाँ जैसेः लाजपत नगर, मोती डूंगरी, बैक कॉलोनी, अलका पुरी, राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियाँ, मनु मार्ग, काला कुआँ हाऊसिंग बोर्ड, साऊथ ईस्ट ब्लाक, रणजीत नगर, स्कीम नम्बर 10, एन.ई.बी. स्कीम नम्बर 8 आदि शामिल हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों में कुछ नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही है, इनका आवासीय घनत्व 100 व्यक्ति प्रति हैक्टर से कम है तथा इसमें सूर्य नगर, अम्बेडकर नगर, वैशाली नगर आदि प्रमुख है। इन कॉलोनियों का अभी विकास हो रहा है तथा अधिकांश भू-खण्ड़ों में अभी निर्माण नहीं हुआ है।

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा पिछले दशकों में शहर में कई कॉलोनियों का विकास किया गया है, जिनमें मालवीय नगर, शांति कुंज, शिवाजी पार्क, हसन खॉ मेवात नगर, विजय नगर, अशोक विहार, रणजीत नगर, सूर्य नगर, वैशाली, अम्बेडकर नगर, आर्य नगर, लाजपत नगर, गांधी नगर, विवेक विहार आदि प्रमुख है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी, अलवर में आवासीय योजनाएँ, जैसे मनु मार्ग, सी.ई.बी स्कीम, एस.डब्ल्यू.बी. स्कीम, शान्ति कुज, 10 बी. स्कीम, एन.ई.बी. स्कीम, एन.ई.बी. विस्तार काला कुआँ स्कीम विकसित की गयी है।

यहाँ पर 42 चिन्हित कच्ची बस्तियाँ है, जिनमें करीब 4000 परिवार निवास करते हैं। प्रमुख बस्तियाँ रेलवे लाईन के पूर्व दाउदपुर, खुदनपुरी, मुंगस्का, देवखेडा, सामोला

एवं उत्तर में बल्ला बोडा तथा पश्चिम में पहाड़ी की तलहटी में चमारपाड़ी, लालखान, अखेपुरा, धोबी घट्टा गालिब सैय्यद आदि है। कुछ कच्ची बस्तियाँ जैसे सेठ की बावड़ी, हजूरी गेट, गोपाल टाकीज, फतेहसिंह की गुम्बद, नारायण विलास, खदाना, करोली कुण्ड आदि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित है। स्टेडियम के पीछे पहाड़ी की तलहटी में सोनावा की बड़ी कच्ची बस्ती है। पहाड़ियों की तलहटी में स्थिति के कारण इन बस्तियों से पहाड़ी का प्राकृतिक सौन्दर्य प्रभावित हो रहा है। इन बस्तियों में मुख्य रूप से औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोग निवास करते हैं। विगत वर्षो से इन कॉलोनियाँ का विकास, वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत किया गया है।

2.6 (2) वाणिज्यिक

अलवर शहर प्राचीन समय से ही अपने क्षेत्र का एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र रहा है। अलवर का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र पुराने शहर में ही स्थित है, जिसमें सर्राफा बाजार, बजाज बाजार, होप सर्कस, घंटा घर, केडलगंज, रामगंज, का क्षेत्र प्रमुख है। स्टेशन रोड़, तिजारा रोड़, दिल्ली रोड़ पर भी वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित हो चुकी है। यह सभी बाजार मुख्य सड़कों द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुये है तथा सड़क के किनारें दुकानों की निरन्तर कतार बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पुराने शहर के अन्य बाजार केडल गंज, तेज मण्ड़ी आदि है। पुराने शहर के बाहर, नवनिर्मित कॉलोनियों में स्थानीय स्तर पर दुकानें बनी हुई है। कुछ कॉलोनियों जैसेः आर्य नगर, लाजपत नगर, मंगल विहार आदि में स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र भी विकसित किये गये है। इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी अव्यवस्थित रूप से दुकानों का निर्माण हुआ है, जिनमें दिल्ली रोड, अशोक टॉकीज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि के पास का क्षेत्र प्रमुख है। क्षेत्रीय स्थिति के कारण अलवर शहर में बैंक, होटल, व्यावसायिक संस्थानों के कार्यालय, कपड़ा, सराफा, मशीनरी एवं नित्य उपयोगी वस्तुओं के थोक व्यापार केन्द्र स्थित है जहाँ से जिले के अन्य नगरों के व्यापारी सामान ले जाते है। शहर में भवन सामग्री, मशीनरी, हार्डवियर और इमारती सामान की दुकानें भी मुख्य सड़कों के साथ निर्मित है। अलवर में रेलवे लाईन के पूर्व की तरफ अनाज मण्डी एवं सब्जी मण्डी कार्यरत है। कृषि

प्रधान क्षेत्र होने के कारण अलवर में A- श्रेणी की अनाज मण्डी है। अनाज मण्डी में प्रतिवर्ष 30 से 37 लाख क्विन्टल खाद्यान्न का आवाक होता है जिसका विवरण तालिका संख्या - 4 में दर्शाया गया है:

तालिका - 4

अनाज मंड़ी में खाद्यान्नों की आवक, अलवर (2006 -2011)

क्र. स.	किस्म नाम	वर्ष (आवक क्विंटल में)				
		2006-07	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**
1.	बाजरा	1,70,427	2,43,503	1,81,106	2,31,997	2,08,382
2.	गेहू	1,60,796	2,97,550	3,56,614	3,77,067	3,87,834
3.	सरसों	7,79,279	10,63,776	12,28,692	13,72,239	13,28,754
4.	प्याज	7,09,501	9,93,240	7,09,525	8,87,010	5,94,763
5.	गुवार	57,969	78,031	94,299	87,400	70,315
6.	चीनी	3,03,985	3,05,204	3,36,908	3,26,166	2,73,197
7.	अन्य	2,32,205	2,77,833	2,88,038	4,19849	5,32,993
योग		24,14,160	32,59,137	31,95,182	37,01,728	33,96,238

(स्त्रोतः कृषि उपज मंड़ी, अलवर)

यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं राजस्थान वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन के भण्डागार है जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 86,580 मैट्रिक टन है। भण्डारगारों का विवरण तालिका संख्या - 5 में दर्शाया गया है:

तालिका - 5

अलवर में भण्डारणों का विवरण - 2011

क्र.सं.	भण्डारण की संस्था	भण्डारगारों की संख्या	भण्डारण क्षमता (मै० टन)
1.	भारतीय खाद्य निगम	2	49,365
2.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	4	14,295
3.	राजस्थान स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	12	22,650
योग		**18**	**86,580**

(स्त्रोतः सलाहकार द्वारा भण्डारगारों से संकलन)

2.6 (3) औद्योगिक

अलवर जिला कृषि उत्पादन में अग्रणी है अतः यहाँ प्रारम्भिक दिनों में कृषि आधारित उद्योगों की प्रमुखता थी, परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गठन के बाद यहाँ पर अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई है। वर्तमान में यहाँ पर कृषि आधारित, वन आधारित, पशुधन आधारित, वस्त्र निर्माण, रासायनिक एवं खनिज उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग की विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित है। अलवर में 1960-65 में रेलवे लाईन के पूर्व में करीब 88 हैक्टर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था। वर्ष 1970 के बाद रीको द्वारा दिल्ली रोड के दक्षिण में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया जो करीब 825 हैक्टर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का विकास विभिन्न चरणों में किया गया है। इसी के समीप ही 77 हैक्टर क्षेत्र में एग्रोफूड पार्क का भी विकास रीको द्वारा किया गया है। रीको द्वारा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में 1034 भू-खण्ड आवंटित किये गये है।

अलवर शहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः यहाँ तीव्र औद्योगिक विकास की अपेक्षा है। परन्तु वर्तताान औद्योगिक विकास को देखने से ज्ञात होता है कि अलवर का अपेक्षित विकास नही हो रहा है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के कुल 1034 आवंटित भू-खण्ड़ों में केवल 690 इकाईयाँ ही कार्यरत है। एग्रोफूड पार्क में भी लगभग आधे भू-खण्ड़ों पर निर्माण किया गया है। औद्योगिक विकास की धीमी गति का मूल कारण अलवर के उत्तर-पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर अनेक औद्योगिक क्षेत्रों जैसेः बाबल, शाहजँहापुर, भिवाड़ी, धारूहेडा, रेवाड़ी आदि विकसित होना है।

जिला उद्योग केन्द्र अलवर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में अलवर में 747 पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित थे, जिसमें 10,570 व्यक्ति काम कर रहे थे। यहाँ की औद्योगिक इकाईयों का विवरण तालिका संख्या - 6 में दिया गया हैः

तालिका - 6

औद्योगिक इकाईयाँ, अलवर - 2011

क्र.सं.	उद्योग	इकाइयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति
1.	कृषि संसाधन पर आधारित उद्योग	76	1,223
2.	वन संसाधन पर आधारित उद्योग	23	518
3.	पशुधन पर आधारित उद्योग	2	94
4.	वस्त्र उद्योग	11	75
5.	रसायन सम्बंधी उद्योग	71	1,595
6.	खनन सम्बंधी उद्योग	128	2,617
7.	इंजिनियरिंग सम्बंधी	247	3,455
8.	अन्य	188	1,097
योग		**746**	**10,571**

(स्त्रोतः जिला उद्योग केन्द्र अलवर)

2.6 (4) राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय

रियासती काल से ही अलवर राजधानी के रूप में प्रशासनिक केन्द्र रहा है तथा स्वतंत्रता के बाद जिला मुख्यालय के रूप में कार्यरत है। अतः यहाँ पर सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय अधिक संख्या में विद्यमान है। अभी भी जिलाधीश एवं अन्य प्रमुख कार्यालय पुराने शहर के अन्दर सिटी पैलेस में ही स्थित है। कुछ नये कार्यालय जैसेः नगर विकास न्यास, नगर नियोजन कार्यालय आदि पुराने शहर के बाहर स्थित है।

अलवर में केन्द्र एवं राज्य सरकार, अर्द्ध राजकीय स्थानीय निकाय आदि कार्यालयों में वर्ष 2011 में 13,063 कर्मचारी कार्यरत थे इसका विवरण तालिका संख्या - 7 में दर्शाया गया है:

तालिका - 7

राजकीय कार्यालय, अलवर - 2011

क्र.सं.	कार्यालयों के प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	केन्द्र सरकार	14	897
2.	राज्य सरकार	69	8,724
3.	अर्द्ध-राजकीय	50	2,740
4.	स्थानीय निकाय	3	702
योग		**136**	**13,063**

(स्त्रोतः नित्या अरबन स्केप द्वारा सर्वेक्षण, अलवर)

2.6 (5) आमोद-प्रमोद

अलवर में, वर्तमान में, आमोद-प्रमोद के लिए उद्यान, क्लब एवं खेल के मैदान आदि है। वर्ष 2011 में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत कुल विकसित क्षेत्र का केवल 2.0 प्रतिशत क्षेत्र ही उपयोग में था।

अलवर में आमोद-प्रमोद के साधन विगत वर्षो में अधिक विकसित नहीं किये गये है। यहाँ पर अनेक छोटे-बड़े क्लब विकसित है। वर्तमान में यहाँ पर 4 सिनेमा हॉल एवं एक स्टेडियम स्थित है। स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल-कूद, जन सभा आदि का आयोजन किया जाता है। अलवर के पश्चिम में पहाड़ी की तलहटी में बाला किला रोड के जंक्शन के पास एक जलाशय एवं हरे-भरे वृक्षों से युक्त घाटी है, यहाँ पर लोग पिकनिक बनाने आते है। इसी प्रकार उत्तर में कडूकी झील के समीप ही पिकनिक स्थल है।

2.7 (5)अ उद्यान एवं खुले स्थल

अलवर में 4 बड़े उद्यान क्रमशः राजीव गांधी स्मृति उद्यान, चिल्ड्रेन पार्क मोती डूंगरी, नेहरू उद्यान, पुरजन विहार (कम्पनी बाग) है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नई कॉलोनियों में भी स्थानीय स्तर पर पार्क विकसित किये गये है।

अलवर शहरी क्षेत्र के अन्दर अनेक छोटी पहाड़ियाँ तथा अलवर के पश्चिम में ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इन पहाड़ियों पर हरियाली नग्ण्य है तथा इनकी तलहटी में अनाधिकृत कच्ची बस्तियाँ बस गयी है। इन पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

पुरजन विहार उद्यान, शहर के स्तर का प्रमुख उद्यान है, जिसे 1868 में महाराजा शिवदान सिंह जी ने बनवाया था। यह शहर के लोगों के भ्रमण का मुख्य स्थल है।

2.6 (5)ब स्टेडियम एवं खेल के मैदान

अलवर में फूल बाग के सामने, इन्द्रिरा गांधी स्टेडियम विकसित किया गया है इसके अतिरिक्त यहाँ पर नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल का मैदान, राज ऋषि

महाविद्यालय का खेल का मैदान, बाबू सोभाराम कला महाविद्यालय का खेल का मैदान, यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल का मैदान एवं केन्द्रीय विद्यालय मोती डूंगरी खेल का मैदान आदि प्रमुख खेल मैदान है।

2.6 (5)स मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ

अलवर में सिलीसेड़ झील, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, बाला किला, सिटी पैलेस, पुरजन विहार, जयसमन्द झील आदि प्रमुख पर्यटक स्थल है। अलवर के ही समीप स्थित तालवृक्ष, नीलकण्ठ, भर्तृहरि, पाण्डुपोल एवं नन्दलेश्वर जैसे आकर्षण केन्द्रों के कारण भी, यहाँ पर अधिक संख्या में देशी-विदशी पर्यटकों का आगमन होता है। अलवर जिले में प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख पर्यटक आते है। विगत 3 वर्षो में यहाँ में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, इसका मुख्य कारण सरिस्का में बाघों की संख्या में भारी कमी है। अलवर में आने वाले पर्यटकों का विवरण तालिका संख्या - 8 में दिया गया है:

तालिका - 8

पर्यटकों की संख्या, अलवर - 2010

वर्ष	देशी	विदेशी	कुल योग
2006	3,65,468	19,312	3,84,780
2007	2,52,125	23,267	2,75,392
2008	1,62,163	26,542	1,88,705
2009	1,41,482	20,011	1,61,493
2010	1,53426	21,870	1,75,296

(स्त्रोतः नित्या अरबन स्केप द्वारा सर्वेक्षण अलवर एवं पर्यटन कार्यालय, अलवर)

पर्यटन सुविधा के रूप में यहाँ पर विभिन्न स्तर के होटल, धर्मशाला आदि भी है जिनमें करीब 708 कमरे है। इनमें पर्यटकों को ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। होटलों के अतिरिक्त शहर में सामान्य व्यक्तियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएँ उपलब्ध है। यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तालिका संख्या - 9 में दिया गया है:

तालिका - 9

पर्यटकों के ठहरने की सुविधा, अलवर - 2010

क्र. सं.	होटल्स के नाम	कमरों की संख्या	पर्यटकों की संख्या		योग
			देशी	विदेशी	
1.	अलवर शहर के सामान्य होटल	388	24,361	7,808	32,169
2.	होटल टाईगर डैन सरिस्का	30	5,261	190	5,151
3.	लैक पैलेस सिलीसेढ	12	9,476	2,876	12,352
4.	सरिस्का पैलेस सरिस्का	95	14,181	4,549	18,730
5.	हिल फोर्ट केसरोली	21	2,098	817	2,915
6.	अलवर शहर की धर्मशालाएँ	140	13,248	--	13,248
योग		**708**	**68,625**	**16,240**	**84,565**

(स्त्रोतः नित्या अरबन स्केप द्वारा सर्वेक्षण अलवर एवं पर्यटन कार्यालय, अलवर)

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षाणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ सम्मिलित है:

2.6 (6)अ शैक्षाणिक

शैक्षाणिक दृष्टि से अलवर बहुत सम्पन्न है। यहाँ पर 10 महाविद्यालय है जिनमें राजऋषि राजकीय महाविद्यालय, बाबू सोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय एवं गौरी देवी महिला महाविद्यालय प्रमुख है। यहाँ पर 7 इन्जिनियंरिग कॉलेज, 12 बी.एड़ कॉलेज, 19 औद्योगिक प्रशिक्षाण केन्द्र, 3 पालीटेकनिक एवं 8 नर्सिग कॉलेज तथा चिकित्सा विद्यालय है।

वर्तमान में अलवर, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षाण क्षेत्र में स्थापित हो चुका है। तकनीकी शिक्षाण केन्द्रों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है तथा बाहर से आकर छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

अलवर में 81 प्राइमरी स्कूल, 45 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 138 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अलवर में शैक्षाणिक संस्थाओं का विवरण तालिका संख्या - 10 में दर्शाया गया है:

तालिका - 10
शिक्षण संस्थाओं का विवरण, अलवर - 2011

क्र. सं.	शैक्षणिक स्तर	शिक्षण संस्थाओं की संख्या			छात्रों की संख्या		
		राजकीय	निजी	योग	राजकीय	निजी	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	44	37	81	2802	3,768	6,570
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	34	11	45	4271	5,07	4,778
3.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	13	125	138	4769	20,822	25,591
4.	महाविद्यालय	5	5	10	19,480	17,91	21,271
5.	इन्जिनियरिंग कॉलेज	--	7	7	--	10,167	10167
6.	बी.एड. कॉलेज	--	12	12	--	1,240	1240
7.	आई.टी.आई /पालीटेकनाक	3	19	22	2,954	1120	4074
8.	नर्सिंग / मेडिकल	1	7	8	150	1,275	1,425
9.	प्रबन्धन कॉलेज	--	3	3	--	390	390
10.	एस.टी.सी.	1	1	2	100	168	268
11.	होम्योपैथिक/यूनानी /मेडिकल कॉलेज	--	2	2	--	400	400
योग		**99**	**226**	**325**	**33,276**	**65,538**	**98,814**

(स्त्रोतः जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक, अलवर एवं नित्या अरबन स्केप द्वारा सर्वेक्षण)

2.6 (6)ब चिकित्सा

अलवर में चिकित्सा सुविधा उच्च स्तर की है। यहाँ पर 2 मुख्य राजकीय चिकित्सालय शहर के अन्दर स्थित है, जिसमें एक सामान्य चिकित्सालय तथा दूसरा महिला चिकित्सालय है, इन दोनों में कुल 487 शैयाओं की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 2 होम्योपैथिक, 2 आयुर्वेदिक, 1 सैनिक चिकित्सालय एवं 1 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय है। यहाँ पर 4 डिस्पेंसरी एवं जिला क्षय निवारण केन्द्र है। विगत वर्षो में यहाँ अनेक निजी चिकित्सालयों की स्थापना हुई है, जिसमें कुछ उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान कर रहे है। यहाँ की चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका संख्या - 11 में दर्शाया गया है:

तालिका - 11

चिकित्सा सुविधाएँ, अलवर - 2011

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम	चिकित्सालयों की संख्या	शैयाओं की संख्या
1.	सामान्य चिकित्सालय	4	581
2.	डिस्पेंसरी	4	-
3.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	2	10
4.	होम्योपैथिक	2	--
5.	क्षय निवारण केन्द्र	1	--
6.	निजी चिकित्सालय	66	1533
योग		**79**	**2124**

(स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं सर्वेक्षण)

2.6 (6)स धार्मिक, ऐतिहासिक धरोहर स्थल

अलवर के प्रमुख मन्दिरों में सिटी पैलेस के समीप स्थित जगन्नाथ जी मन्दिर, त्रिपोलिया के समीप स्थित शिव मन्दिर और होप सर्कस के पास स्थित गणेश जी मन्दिर, भूरासिद्ध हनुमान जी मन्दिर आदि है। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ पर बालाकिला, सिटी पैलेस, मूसी महारानी की छतरी, मोतीडूंगरी, फतह गुम्बद आदि मुख्य है। इसके अतिरिक्त अलवर के समीप, अन्य ऐतिहासिक धरोहर स्थल विद्यमान है जैसेः पाण्डुपोल, नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर, नलदेश्वर, तालवृक्ष, भर्तृहरि आदि।

यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों में निम्न प्रमुख हैः

1) बाला किला

बाला किला हसन खान मेवाती द्वारा 1492 ई. में बनवाया गया था। किले का निर्माण, अलवर के पश्चिम में स्थित, करीब 595 मीटर ऊंची पहाड़ी पर किया गया था। इस प्रकार यह किला अलवर नगर के प्रहरी के रूप में बनवाया गया था। बाला किला उत्तर से दक्षिण में 5 किलोमीटर की लम्बाई एवं पर्वू से पश्चिम में 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके अन्दर, 15 बड़े एवं 51 छोटे बुर्ज है। किले के चारों तरफ ऊंची चारदिवारी बनवायी गयी थी, जिसमें 6 पोल (दरवाजा) द्वारा प्रवेश किया जा सकता था। किले के अन्दर-सलीम सागर, सूरज कुण्ड, बावड़ी एवं छोटे-छोटे अनेक महलों के अवशेष है।

2) पुरजन विहार

पुरजन विहार या कम्पनी बाग का निर्माण, महाराजा शिवदान सिंह जी द्वारा 1868 ई. में करवाया गया था। यह बाग एक सुनियोजित योजना के अनुसार विकसित किया गया है जिसमें पेड, हरी घास एवं छोटी छतरियाँ आदि है। सन् 1885 में महाराजा मंगल सिंह जी ने, इसके अन्दर एक छोटा बंगला, शिमला हाऊस के नाम से भी बनवाया था। यह गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करने के उद्देश्य से बनवाया गया था, जिसमें पानी का कृत्रिम झरना एवं पानी द्वारा शीतलीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है। बाग के अन्दर भ्रमण करना बहुत ही मनोरम लगता है।

3) सिटी पैलेस

महाराजा विनय सिंह जी द्वारा 1848 ई. निर्मित, सिटी पैलेस शहर के अन्दर बनवाया गया था। यह महल, अपनी भव्य निर्माण एवं वास्तु शिल्प शैली के कारण प्रसिद्ध है। इसी के अन्दर एक संग्रहालय भी बना हुआ है।

पुराने शहर के बीच स्थित सिटी पैलेस, एक भव्य ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। जिसमें बड़े गेट एवं एक तालाब है। यहाँ पर महाराजा बख्तावर सिंह की सुन्दर छतरी बनी हुई है। वर्तमान में यहाँ पर जिलाधीश कार्यालय है। इसकी ऊपरी मंजिल में राजकीय संग्रहालय स्थित है।

4) सागर

सिटी पैलेस के पीछे की तरफ, किले की तलहटी में एक सुन्दर तालाब बना हुआ है, जो सागर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1813 ई. में महाराजा विनय सिंह द्वारा किया गया था। सागर में नीचे पानी की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है तथा किनारों पर लाल पत्थर से निर्मित 12 छतरियाँ बनवायी गयी है। किले एवं पहाड़ी के बीच स्थित सागर की प्राकृतिक छटा बहुत ही सुहावनी लगती है।

5) मूसी रानी की छतरी

सिटी पैलेस सागर के किनारे, मूसी रानी की छतरी, हिन्दू एवं मुगल वास्तुशिल्प की अनूठी कृति प्रस्तुत करती है। छतरियों का ऊपरी भाग संगमरमर एवं नीचे का भाग लाल पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था।

6) होप सर्कस

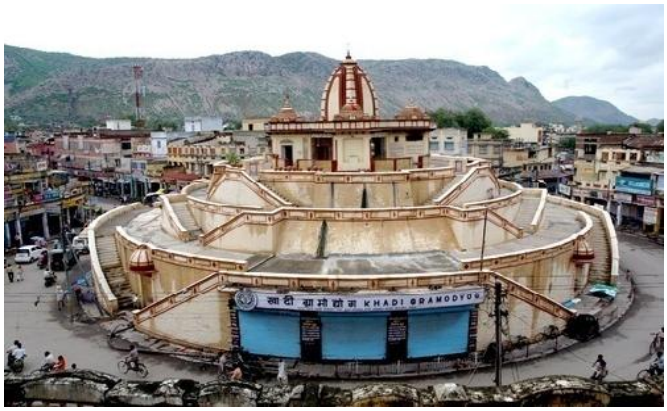

पुराने अलवर शहर का केन्द्रबिन्दु होप सर्कस है। इस भवन के चारों तरफ दुकानें है। इसका नामकरण, अंग्रेज बायसराय लार्ड लिंलिथगो की पुत्री, मिस होप के नाम पर रखा गया था। यह एक गोल स्वरूप का भवन है, जिसमें चारों ओर से ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ से त्रिपोलिया तक, मुख्य बाजार है जिसे, बजाजा बाजार के नाम से जाना जाता है।

7) त्रिपोलिया

होप सर्कस से सिटी पैलेस रोड पर त्रिपोलिया इमारत बनी हुई है। यह एक भव्य गुम्बदनुमा इमारत है, जिसका निर्माण नहरखान ने 1417 ई. में अपने दादा तारंग सुल्तान की याद में

बनवाया गया था।

8) फतेह जंग का गुम्बद

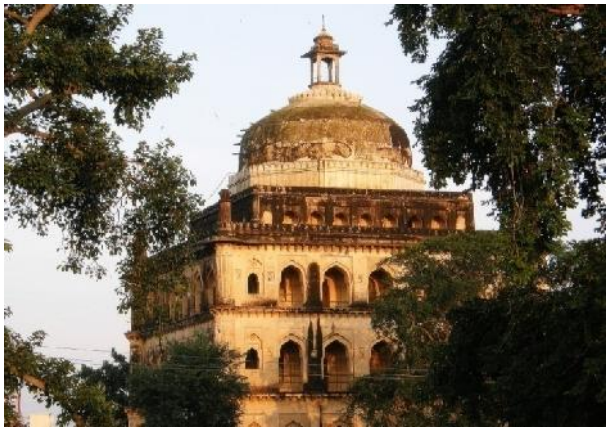

मुगल सुबेदार फतेह जंग का गुम्बद, रेलवे स्टेशन के पास, बहुमंजिला स्मारक के रूप में वर्तमान है, यह हिन्दू एवं मुगल वास्तु शिल्प की अनूठी कृति है। इसका विशाल गुम्बद, कलात्मक एवं दर्शनीय है। वर्तमान में यह राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आधीन है।

9) विनय विलास महल

महाराजा विनय सिंह जी द्वारा बनवाया गया, विनय विलास एक भव्य महल है। इसमें झरोखे, जालियाँ एवं कंगूरे कलात्मक है। वर्तमान में इसमें राजऋषि महाविद्यालय संचालित है।

10) सीलीसेड़ महल एवं झील

अलवर के दक्षिण-पश्चिम में 12 कि.मी. की दूरी पर, महाराजा विनय सिंह जी द्वारा, सन् 1845 में रूपारेल की सहायक नदी पर बांध का निर्माण कर एक सुन्दर जलाशय बनवाया गया। इसके चारों तरफ छतरियाँ है तथा यह घने जंगल में स्थित है। यहाँ पर एक छोटा महल आरामगाह के रूप में बनवाया गया था, जो

अब एक पर्यटक होटल के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। यह सुन्दर झील, नौका विहार के लिए उत्तम है। महल में चार मंजिल नीचे एवं तीन मंजिल भूतल से ऊपर निर्मित है। महल से झील एवं पहाडियों की दृष्यावली बहुत आकर्षक लगती है।

11) विजय मन्दिर महल

अलवर शहर के उत्तर में महाराजा जयसिंह द्वारा, 1918 ई. में एक पहाड़ी पर निर्मित, यह एक भव्य महल है। इसके समीप ही एक झील है, जिससे महल की सुन्दरता अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर सीताराम मन्दिर में रामनवमी के समय मेला लगता है तथा अधिक संख्या में लोग आते है।

12) अलवर के समीप स्थित अन्य स्थान

i. सरिस्का राष्ट्रीय बाघ उद्यान

सरिस्का राष्ट्रीय बाघ उद्यान, अलवर शहर के दक्षिण दिशा में 35 कि.मी. की दूरी पर, 866 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य एवं वर्ष 1978 में इसे देश के बाघ परियोजना उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। सरिस्का वन क्षेत्र में बंगाल टाइगर के अलावा टेन्दुआ, चीतल, सांभर, नील गाय, बारहसिंहा, लंगूर, लोमड़ी, जंगली सूअर आदि अनेक जंगली जानवर एवं पंक्षी पाये जाते है। विगत वर्षो में यहाँ, बांघों की संख्या में कमी आ गयी थी अतः यहाँ पर रणथम्भौर एवं अन्य स्थानों से बाघों को लाकर बसाया जा रहा है।

सरिस्का क्षेत्र के अन्दर अनेक ऐतिहासिक महत्व के निम्न स्थल स्थित है

1) **कनकवाड़ी का किला**: एक ऊंची पहाड़ी पर बनवाया गया कनकवाड़ी किला, बहुत ही सुरक्षित किला है। इसके चारों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ है। किले की दीवार अब नष्टप्राय: है। किले के अन्दर महलों के भग्नावशेष वर्तमान है। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दाराशिकोह को कैद कर रखा था।

2) **पांडुपोल**: अलवर से 45 कि.मी. की दूरी पर, सिरिस्का वन क्षेत्र में पहाडियों के बीच स्थित, यह स्थान पांडवों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्थित हनुमान मन्दिर में बहुत से दर्शनार्थी आते है तथा आगात के महीने में यहाँ मेला लगता है। वर्षा के मौसम में यहाँ पानी का झरना बन जाता है तथा सारा दृश्य सुहावना लगता है।

3) **नीलकण्ठ**: सिरिस्का वनक्षेत्र में स्थित नीलकण्ठ, पहाडियों के बीच स्थित एक मन्दिरों का स्थल है। यह पुरानें समय में बढ़गूजरों की राजधानी थी। यहाँ पर पत्थरों में कारीगरी द्वारा अनेक आकर्षक भित्तिचित्र बनाये गये है। यहाँ का मुख्य स्थल शिव मन्दिर है। यहाँ पर अभी शोध कार्य चल रहा है तथा अनुमान है कि, पूर्व में यहाँ एक सुन्दर विकसित क्षेत्र था जिसमें अनेक मन्दिर थे।

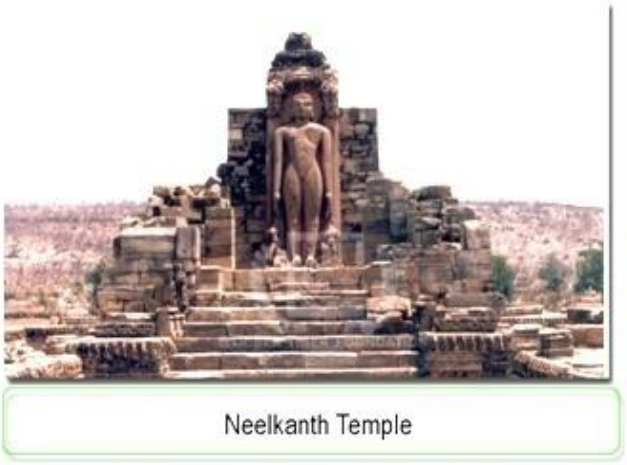
Neelkanth Temple

4) **तालवृक्ष**: अलवर से 36 कि.मी. की दूरी पर, अलवर-नारायणपुर रोड पर स्थित तालवृक्ष, प्राचीन काल में मांडव ऋषि की तपोस्थली थी। यहाँ पर, गर्म एवं

ठंडे पानी के झरने है। यहाँ पर ताड़ के पेड़ों की अधिकता है, इसी के कारण इसे तालवृक्ष कहा जाता है।

5) **भर्तृहरि**: अलवर-जयपुर रोड पर, अलवर से 35 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी पर भर्तृहरि का पवित्र स्थल है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, यह उज्जैन के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि थी। यहाँ पर कुण्ड में सदैव जल प्रवाह होता रहता है। अगस्त के महीनें में यहाँ एक मेला लगता है। वैसे वर्ष पर्यन्त भक्तगण, यहाँ दर्शन के लिए आते रहते है।

6) **नन्दलेश्वर**: अलवर के दक्षिण में 25 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों के बीच, गुफा में नन्दलेश्वर का मन्दिर है। यहाँ पर, दो प्राकृतिक जल कुण्ड स्थित है, जिनके कारण वर्षा ऋतु में यह बहुत ही चित्राकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि, अलवर में पर्यटन व्यवसाय विकसित होने की विपुल सम्भावना है। परन्तु अभी भी, अलवर को इस दिशा में अपेक्षित स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। दिल्ली की समीपता के कारण, अलवर को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित है।

2.6 (6)द अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

अलवर में 14 धर्मशालाएँ है जिनमें सुगना बाई धर्मशाला, इमरती देवी धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, पुरूषार्थी धर्मशाला आदि प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर 10 सामुदायिक केन्द्र विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्थित है। यहाँ पर 2 प्रमुख

डाकघर क्रमश: मोती डूंगरी के समीप एवं हास्पिटल चौराहे के पास स्थित है। नगर के 5 पुलिस थाना क्रमश: घंटा घर, भवानी तोप का चौराहा, शिवाजी पार्क स्कीम, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एवं तुलेडा रोड चौराहे के पास स्थित है इसके अतिरिक्त मोती डूंगरी के पास एक महिला पुलिस थाना भी है। यहा पर 3 टेलीफोन एक्सचेंज भी है जिसमें 16,200 कनेक्शन है।

2.6 (6)य जनोपयोगी सुविधाएँ

2.6(6)य(i) पेयजल व्यवस्था

अलवर में पेयजल की व्यवस्था, 183 ट्यूबवेलों के माध्यम से की जाती है, जिनकी प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता 31 एम.एल.डी.है । परन्तु भूमिगत जल के सतह में निरन्तर गिरावट के कारण, वर्तमान में केवल 26.8 MLD जल ही उक्त स्त्रोतों से उपलब्ध हो रहा है। जलदाय विभाग द्वारा, 261 हैंडपम्पों के माध्यम से भी लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिन में 1 से 2 घंटे के लिए ही जल वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार, वर्तमान में करीब 78 लीटर, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन की दर से जल उपलब्धता है। विगत वर्षो में अलवर शहर का विकास, बाहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है तथा कृषि भूमि पर निजी कालोनियाँ विकसित हो रही है, इन नये विकसित क्षेत्रों में पानी की समस्या अधिक है। पुराने शहर में भी जल वितरक पाइप लाईने पुरानी है तथा उनकी क्षमता भी कम है अत:ठीक से जल वितरण नही होता है। भूमिगत जल की सतह में 0.8 मीटर प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आ रही है। अधिक जल दोहन के कारण पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जल गुणवत्ता आंकलन के अनुसार, यहाँ के पानी में नाईट्रेट, लौह एवं अन्य लवणों की मात्रा अधिक है।

अलवर शहर में पानी विवरण, 21 भूमि निर्मित जलाशयों (जी.एल.आर) एवं 22 उच्च जलाशयों के माध्यम से किया जा रहा है। जल का वितरण, शहर में 38,670 कनेक्शनों से किया जा रहा है। जिसका विवरण तालिका संख्या - 12 में दर्शाया गया है:

तालिका - 12

जल कनेक्शन, अलवर - 2011

क्र.सं.	कनेक्शन का प्रकार	संख्या
1.	घरेलू	34,306
2.	व्यावसायिक	3,892
3.	उद्योग	119
4.	राज्य सरकार	169
5.	केन्द्रीय सरकार	151
6.	अन्य	33
योग		**38,670**

(स्त्रोतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर)

2.6(6)य(ii) विद्युत वितरण व्यवस्था

अलवर में बिजली की आपूर्ति, राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा की जाती है। दो 220 के.वी. के ग्रिड स्टेशन क्रमशः पुराने औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर तथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में बने हुये है। शहर में प्रतिदिन, 12.78 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सबसे अधिक विद्युत उपभोग औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जाता है। कुल 1989 औद्योगिक कनेक्शन है तथा प्रतिमाह 244.58 लाख यूनिट की खपत है। प्रतिदिन, औसत घरेलू बिजली की खपत लगभग 2.17 लाख यूनिट हैं। शहर में कुल 81,043 विद्युत कनेक्शन है तथा कुल 383.52 लाख यूनिट प्रतिमाह विद्युत का उपभोग किया जाता है। अलवर के विद्युत कनेक्शन का विवरण तालिका संख्या - 13 में दर्शाया गया है:

तालिका - 13

विद्युत कनेक्शन, अलवर - 2011 - 2012

क्र. सं.	कनेक्शन का प्रकार	संख्या	विद्युत उपभोग लाख यूनिट (मासिक)
1.	घरेलू	64,914	65.14
2.	व्यावसायिक	11,515	22.39
3.	सड़क प्रकाश	117	2.23
4.	उद्योग	1,989	244.58
5.	अन्य	2,508	49.18
योग		**81,043**	**383.52**

(स्त्रोतः जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलवर)

2.6(6)य(iii) ठोस कचरा प्रबन्धन

नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन 130 टन कचरा एकत्रित होता है। यह कचरा शहर के बाहर पूर्व में पहाड़ी के तलहटी में गुलेटा ग्राम, तहसील रामगढ़ में ड़ाला जाता है। सफाई कार्य हेतु, कुल 600 कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारियों सहित लगे हुए है। शहर के पुराने आबादी वाले 12 वार्डो में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाती है। यहाँ दिन में एक बार सफाई की व्यवस्था है। शहर के अन्य 38 वार्डो में ठेकेदारों के माध्यम से सफाई की व्यवस्था है। इन क्षेत्रों में सप्ताह में दो से तीन बार सफाई की जाती है। मुख्य सड़कों की सफाई दिन में एक बार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति से कचरा निस्तारण हेतु पूर्व में दिल्ली रोड के दक्षिण में अग्यारा ग्राम के पास एक स्थल चिन्हित किया गया है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है।

अस्पताल के जैविक कचरे का निस्पादन मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व दिशा में ग्राम घूनीनाथ में होसबिन इन्सवेटर लिमिटेड कम्पनी द्वारा स्थापित संयत्र में किया जा रहा है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का सामान्य ठोस अवशिष्ट पदार्थ लै-लेण्ड फैक्टी के पूर्व में रीकों द्वारा निर्धारित स्थल में किया जा रहा है परन्तु यह स्थल वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विकसित नहीं किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र के परिसंकटमय अवशिष्ट पदार्थ को उदयपुर में स्थित संयंत्र में भेजा जाता है। बड़े औद्योगिक इकाईयों द्वारा द्रव अवशिष्ट पदार्थ के निष्पादन के लिए उनके स्वयं के संयंत्र स्थापित है, अन्य औद्योगिक इकाईयों के द्रव अवशिष्ट के लिए रीको द्वारा एक संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

2.6(6)य(iv) सीवरेज एवं जल निकास व्यवस्था

शहर के अधिकांश क्षेत्रों में अभी सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सीवरेज योजना का कार्य राजस्थान शहरी ढ़ाचा विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है। सम्पूर्ण शहर के लिए एक सीवरेज योजना स्वीकृत है जिसके निस्तारण के लिए, अग्यारा ग्राम में पास एक सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। सीवरेज योजना

के अन्तर्गत, नगर विकास न्यास की योजनाएँ आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनियाँ एवं विकसित शहरी क्षेत्र आदि सम्मिलित किये गये है।

2.6(6)य(v) श्मशान एवं कब्रिस्तान

अलवर में प्रमुखतः 4 कब्रिस्तान एवं 12 श्मशान है। इसमें से तीजकी, प्रताप बांध, एन.ई.बी., भूरासिद्ध के श्मशान विकसित किये गये है तथा यहाँ पर पेयजल, शौचालय, छतरी एवं बैठनें के लिए स्थल का प्रावधान किया गया है परन्तु अन्य श्मशान अविकसित है, इनमें समुचित जनसुविधाओं का अभाव है।

2.6 (7) परिसंचरण

अपने क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक एवं व्यावसायिक केन्द्र होने के कारण, अलवर सड़कों द्वारा दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, मथुरा, रेवाड़ी, नारनौल आदि नगरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली-अहमदाबाद वाया जयपुर रेलवे लाईन पर, यह एक प्रमुख स्टेशन है। अलवर-मथुरा बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण के बाद, इसका देश के पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी प्रदेशों से भी सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है।

अलवर शहर, तीन राज्य राजमार्गो क्रमशः राजमार्ग संख्या-13 शाहपुर-अलवर-दिल्ली राज्य राजमार्ग, (जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 का भाग था) राज्य राजमार्ग संख्या-14 बहरोड़ से भरतपुर वाया अलवर-डीग एवं राज्य राजमार्ग संख्या-25 गंगापुर - सिकन्दरा - अलवर - भिवाड़ी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय सड़के है, जो इसे जिले के अन्य स्थानों जैसे कोटकासिम, हरसौली, बानसूर, नारायणपुर, कठूमर आदि से जोड़ती है।

अलवर शहर की आन्तरिक सड़क संरचना में विविधता है। पुराने शहर की सड़के संकरी एवं टेढ़ी-मेढ़ी है। इनकी चौड़ाई 3 से 7 मीटर के बीच ही है। बाहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत चौड़ी सड़के है। शहर की 6 मुख्य सड़के मनु मार्ग, रघु मार्ग एवं नरू मार्ग, उत्तर से दक्षिण दिशा में एवं जय मार्ग, मंगल मार्ग और विनय मार्ग, पूर्व से पश्चिम दिशा में है। इन सड़कों की चौड़ाई, 25 से 35 मीटर तक है अलवर शहर के बाहरी क्षेत्र के चारों तरफ, एक नवनिर्मित बाईपास रोड है, जो उत्तर में बहरोड रोड़ से प्रारम्भ

होकर तिजारा रोड, दिल्ली रोड एवं राजगढ़ रोड को जोड़ता है। यद्यपि बाहरी क्षेत्रों में चौड़ी सड़कों के निर्माण हो जाने के कारण, अलवर में अपेक्षाकृत सड़कों पर वाहन भार कम हुआ है परन्तु पुराने शहर के अन्दर मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र स्थित होने के कारण यातायात अवरूद्धता की समस्या बनी रहती है।

राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोग्राम (आर.यू.आई.डी.पी) द्वारा शहर के विभिन्न सड़कों पर, प्रतिदिन औसत वाहन भार का सर्वेक्षण किया गया है जिसे तालिका संख्या - 14 में दर्शाया गया है:

तालिका - 14
औसत वाहन भार (पी.सी.यू), अलवर

क्र. सं.	सड़क का नाम	साईकिल / रिक्शा	आटो / आटो रिक्शा	कार / जीप / टैम्पो	बस	ट्रक	टैक्टर / भार वाहक	अन्य	वाहन	योग
1.	रघु मार्ग (संख्या) (प्रतिशत)	688 (9.10)	2155 (28.20)	1109 (14.50)	1199 (15.70)	1745 (22.80)	602 (7.90)	140 (1.80)		7638 (100)
2.	नरू मार्ग (संख्या) (प्रतिशत)	218 (1.90)	1861 (16.30)	811 (7.10)	1255 (11.00)	6786 (59.40)	447 (3.90)	52 (0.40)		11430 (100)
3.	मनु मार्ग (संख्या) (प्रतिशत)	347 (3.00)	1870 (15.90)	1321 (11.20)	807 (6.90)	6929 (59.10)	362 (3.10)	100 (1.00)		11736 (100)
4.	बाईपास रोड (संख्या) (प्रतिशत)	165 (10.5)	1829 (16.70)	778 (7.10)	1298 (11.90)	6365 (58.20)	346 (3.20)	151 (1.40)		10932 (100)
5.	दिल्ली रोड (संख्या) (प्रतिशत)	1284 (10.90)	3020 (25.80)	2082 (17.70)	1094 (9.30)	2145 (18.30)	367 (3.10)	1750 (14.90)		11742 (100)

(स्त्रोतः यातायात परियोजना, अलवर - 2008)

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, अलवर की प्रमुख सड़के नरू मार्ग, मनु मार्ग एवं बाईपास रोड पर, ट्रक जैसे भारी वाहनों की संख्या 58 से 60 प्रतिशत के बीच है। दिल्ली रोड पर, लोकल यातायात वाहन जैसे ऑटो, कार, जीप एवं

बैल गाड़ी आदि की अधिकता है। बसों की संख्या 7 से 16 प्रतिशत के बीच है। उक्त विश्लेषण से यहाँ की सड़कों पर मिश्रित वाहन भार भी स्पष्ट होता है।

अलवर शहर में व्यवस्थित, वाहन पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं होने के कारण अधिकतर वाहन, सड़कों के किनारे खड़े रहते है। वाहन पार्किंग की मुख्य समस्या राजकीय चिकित्सालय, वाणिज्यिक क्षेत्र, राजकीय कार्यालय, बस स्टैंड़, रेलवे स्टेशन आदि के के समीप अधिक है। वाहन पार्किंग सुविधा नहीं होने के कारण यातायात अवरूद्धता एक कठिन समस्या है। मुख्य बाजार, चिकित्सालय एवं बस स्टैंड के समीप यह समस्या अधिक प्रबल है।

2.6(7)अ बस यातायात

जिला मुख्यालय एवं क्षेत्रीय महत्ता के कारण, अलवर से जाने वाली बसों की संख्या अधिक है। यहाँ से, दिल्ली, हरियाणा एवं राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों को, बसे जाती है। वर्तमान बस स्टैंड, शहर के घने विकसित क्षेत्र के मध्य में स्थित है। बसों को यहाँ तक आने-जाने में संकरी सड़कों से होकर आना पड़ता है। अलवर मास्टर प्लान (2001) में, रेलवे लाईन के पूर्व में, दिल्ली रोड पर, अनाज मंड़ी के पास, एक नया बस स्टैड प्रस्तावित था परन्तु वह विकसित नहीं हो सका। अतः वर्तमान बस स्टैंड की समस्याएँ अभी भी बनी हुई है। अलवर बस स्टैंड से, प्रतिदिन 371 बसे संचालित की जा रही है, जिनका विवरण तालिका संख्या - 15 में दर्शाया गया है:

तालिका - 15

अलवर बस स्टैंड से संचालित बसों की संख्या

क्र.सं.	बस का मार्ग	बसों की संचालन संख्या
1.	अलवर - जयपुर मार्ग	99
2.	अलवर - दिल्ली मार्ग	20
3.	अलवर - राजगढ़ मार्ग	45
4.	अलवर - किशनगढ़ मार्ग	82
5.	अलवर - बहरोड़ मार्ग	98
6.	अलवर - भरतपुर आगरा मार्ग	27
योग		371

स्त्रोतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन अलवर-2011

- **सार्वजनिक यातायात प्रणाली**

पूर्व में शहर के अन्दर, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मिनी बस, टैम्पो, रिक्सा एवं तिपहिया वाहन संचालित हो रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के सुझावों के अनुसार इन वाहनों से पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये है। टैम्पों चालकों को प्रदूषण रहित अलवर वाहनी मिनी बसें खरीदनें हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा वाहन खरीदनें पर 18000 रूपये की छूट व पुराने टैम्पों की कीमत 2700 रूपये देने का प्रावधान रखा गया है। शेष पैसों के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अलवर में ऐसे करीब 1200 वाहनी बसें खरीदी जा चुकी है। इन बसों को विभिन्न मार्गो पर चलाया जा रहा है जिनमें मनु मार्ग, रघु मार्ग, नरू मार्ग, बाईपास रोड, दिल्ली रोड, मंगल मार्ग, विनय मार्ग, जयपुर रोड, तिजारा रोड, राजगढ़ रोड मुख्य है। इन बसों के संचालन से अलवर शहर में वाहनों के प्रदूषण के साथ-साथ उनसे होने वाले भीड में भी कमी आयी है।

- **बस / ट्रक स्टैड**

अलवर में एक नया ट्रक स्टैंड, रणजीत नगर के पास विकसित किया गया है। जिसमें ट्रासपोर्ट कम्पनी एवं ट्रकों के मरम्मत की दुकानें बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर से प्रतिदिन करीब 500 ट्रकों का आवागमन होता है। ट्रांसपोर्ट नगर, शहर के उत्तर-पूर्व में स्थित है तथा मुख्य सड़क, नरू मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिस पर ट्रकों का आवागमन अधिक है। नरू मार्ग-ट्रक स्टैंड से बाईपास रोड को मिलाने वाली सड़क पर अभी रेलवे लाईन पर, पुल का निर्माण नहीं हो सका है अतः यातायात अवरूद्धता की कठिन समस्या है।

शहर के अन्दर, यातायात की सुगमता के लिए, मुख्य चौराहों का सुधार आवश्यक है, जिनमें होप सर्कस, मनु मार्ग सर्किल, मुगसका चौराहा, भवानी तोप चौराहा, भगत सिंह चौराहा, अस्पताल चौराहा, जेल चौराहा, नांगली चौराहा प्रमुख है। उक्त चौराहों का

सुधार उचित यातायात सिग्नल, सड़को का सुधार एवं यातायात नियंत्रण से किये जाने की आवश्यकता है।

2.6(7)ब रेल यातायात

दिल्ली-अहमदाबाद बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित होने के कारण, अलवर इस मार्ग का एक प्रमुख स्टेशन है। यहाँ से प्रतिदिन 30 यात्री गाड़ियों का आवागमन होता है। यहाँ से दिल्ली, मथुरा, अमृतसर, अहमदाबाद, जोधपुर, देहरादून, हरिद्वार आदि स्थानों के लिए यात्री गाड़ी सुविधा उपलब्ध है।

रेलवे लाईन पर वर्तमान में बाईपास रोड एवं दिल्ली रोड पर ओवरब्रिज बने हुए है। रेलवे स्टेशन के सामने पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व की तरफ से आने के लिए केवल एक ओवरब्रिज है जिसके कारण मुख्य सड़क पर यातायात अवरूद्धता की समस्या बनी रहती है।

2.7 मास्टर प्लान 1988 - 2001 की समीक्षा

अलवर शहर का प्रथम मास्टर प्लान, वर्ष 1988-2001 तक के लिए बनाया गया था, जिसको राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प.स.एफ 1(11) टी.पी/2/72 दिनांक: 06.02.1990 द्वारा अनुमोदन किया गया। इस मास्टर प्लान में अलवर के विकास के प्रस्ताव, मुख्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना की नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किये गये थे।

अलवर का नया मास्टर प्लान बनाने से पहले यह आवश्यक है कि अलवर के पूर्व मास्टर प्लान के प्रस्तावों की समीक्षा की जाये तांकि मास्टर प्लान की नीतियों एवं प्रस्तावों के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मिल सके, जो नये मास्टर प्लान के नीतियों एवं विकास के प्रस्तावों के निर्धारण में सहायक सिद्ध हो सके। पूर्व मास्टर प्लान की समीक्षा मास्टर प्लान के प्रस्तावित एवं वास्तविक स्थिति के अनुरूप निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में की गयी है।

2.7 (1) जनसंख्या का अनुमान

मास्टर प्लान 1988-2001 में, वर्ष 2001 में, शहर की जनसंख्या पांच लाख निर्धारित की गयी थी। परन्तु निर्धारित नीति के विपरीत, दिल्ली से स्थानान्तरित होने वाली औद्योगिक इकाईयाँ, केन्द्रीय कार्यालय, भंडारगार आदि विकास के प्रेरक तत्व, अलवर में नहीं आ सके। अलवर के उत्तर-पश्चिम से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर, धारूहेडा, भिवाडी, शाहजँहापुर, बाबल, निमराना, बहरोड आदि नगरों में, औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण अलवर में अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो सका। फलस्वरूप अलवर की आबादी वर्ष 2001 के लिए प्रस्तावित पांच लाख की जगह, केवल 2.66 लाख एवं 2011 में 3.81 लाख तक ही पहुंच सकी। ऐसी स्थिति के कारण, मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाया तथा वर्तमान में प्रस्तावित नगरीयकृत योग्य क्षेत्र में काफी भूमि पर शहरी विकास नहीं हो सका। अतः राज्य सरकार के द्वारा उक्त मास्टर प्लान की अवधि को सितम्बर 2012 तक के लिए बढ़ा दी गयी।

2.7 (2) व्यावसायिक संरचना

अलवर में, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने के कारण, यह अनुमान लगाया गया था कि, यहाँ पर भविष्य में औद्योगिक गतिविधियों में, अधिक विकास होगा और वर्ष 2001 तक, उद्योगों में 30 प्रतिशत लोग कार्यरत होंगे। परन्तु अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं होने के कारण, वर्ष 2001 तक करीब 21.5 प्रतिशत लोग ही उद्योगों में कार्यरत रहे। इसकी अपेक्षा, सेवा क्षेत्र में कार्यशील लोगों का प्रतिशत बढा तथा वह मास्टर प्लान में अनुमानित, 30 प्रतिशत के स्थान पर, बढ़कर 38 प्रतिशत तक पहुंच गया। सेवा क्षेत्र में बढोतरी का मुख्य कारण, यहाँ अनेक व्यावसायिक-शैक्षाणिक संस्थानों, चिकित्सालयों एवं राज्य सरकार एवं निजी संस्थाओं के कार्यालयों की स्थापना होना है।

व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में भी, अनुमान की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में, 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। तालिका संख्या - 16 में वर्ष 2001 के लिए मास्टर प्लान में प्रस्तावित एवं वास्तविक व्यावसायिक संरचना की स्थिति दर्शायी गयी है:

तालिका - 16
व्यावसायिक संरचना 2001 की तुलना

क्र.सं.	व्यवसाय	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	
		2001 (मास्टर प्लान 1981-2001 में प्रस्तावित)	**2001 (वास्तविक)**
1.	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियाँ	5.00	4.5
2.	उद्योग	30.00	21.5
3.	निर्माण कार्य	4.00	4.5
4.	व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ	20.00	22.5
5.	परिवहन एवं संचार	11.00	9.0
6.	अन्य सेवाएँ	30.00	38.0
योग		**100.00**	**100.0**

स्त्रोतः मास्टर प्लान एवं अनुमानित।

2.7 (3) प्रस्तावित नगरीय विकास क्षेत्र

मास्टर प्लान 2001 के अन्तर्गत शहर का अधिकांश विकास दिल्ली रोड पर प्रस्तावित था, परन्तु विद्यमान भू-उपयोग सर्वेक्षण से पता चलता है कि मास्टर प्लान अवधि (1988-2011) में बाईपास रोड बन जाने के कारण शहर का विकास बाईपास रोड की तरफ अधिक हुआ है। तिजारा रोड से भिवाडी होते हुए दिल्ली-रिवाड़ी-गुड़गाँव के लिए सीधा मार्ग हो जाने के कारण इस रोड पर वर्तमान विकास तीव्रता से हो रहा है। बहरोड रोड के साथ भी शहरी विकास हुआ है। जयपुर रोड एवं राजगढ़ रोड पर मुख्यतयाः रिसोर्ट होटल एवं शैक्षाणिक संस्थानों का निर्माण हुआ है। दिल्ली रोड के उत्तर एवं दक्षिाण में नगर विकास न्यास की कॉलोनियाँ जैसे सूर्य नगर, अम्बेडकर नगर, वैशाली नगर विकसित की गयी है।

मास्टर प्लान 1988-2001 में अनुमानित 5 लाख की आबादी के लिए कुल 5000 हैक्टर भूमि विकसित क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गयी थी। इसकी अपेक्षा वर्ष 2011 तक केवल 4070 हैक्टर क्षेत्र ही विकसित हो सका। इसमें से करीब 370 हैक्टर क्षेत्र परिधि नियंत्रण पट्टी में विकसित हुआ जिनमें मुख्यतयाः निजी बडी आवासीय कॉलोनियाँ, रिसोर्ट, होटल एवं शैक्षाणिक संस्थान थे।

2.7 (4) प्रस्तावित भू-उपयोग योजना

मास्टर प्लान 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोग एवं विद्यमान भू-उपयोग 2011 की तुलनात्मक समीक्षा तालिका संख्या - 17 में दर्शायी गयी है:

तालिका - 17

अलवर मास्टर प्लान 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोगों के विकास की स्थिति वर्ष 2011

क्र. सं.	भू-उपयोग	मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग 2001		विद्यमान भू-उपयोग 2011	
		क्षेत्रफल (हैक्टर)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल (हैक्टर)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	2240	44.80	1858	45.60
2.	वाणिज्यिक	246	4.90	196	4.80
3.	औद्योगिक	1180	23.60	1055	26.00
4.	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय	54	1.10	42	1.00
5.	आमोद-प्रमोद	188	3.70	84	2.00
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	464	9.30	309	7.60
7.	परिसंचरण	628	12.60	526	13.00
	कुल विकसित क्षेत्र	**5000**	**100.00**	**4070**	**100.00**
8.	राजकीय आरक्षित क्षेत्र	1234	-	1182	-
9.	बागात/डेयरी	454	-	35	-
10.	जलाशय/पहाड़ी		-	70	-
11.	रिक्त क्षेत्र	-	-	450	-
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	**6688**	**-**	**5807**	-

स्त्रोत: अलवर मास्टर प्लान 1988-2011 एवं संस्था द्वारा सर्वेक्षण।

मास्टर प्लान मे वर्ष 2001 तक, कुल 2240 हैक्टर अतिरिक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित थी, जिसकी तुलना मे वर्ष 2011 तक, कुल 1858 हैक्टर आवासीय भूमि विकसित हो सकी। आवासीय विकास मास्टर प्लान में प्रस्तावित अन्य उपयोगों, जैसे: परिधि नियंत्रण पट्टी, व्यावसायिक, राजकीय, आमोद-प्रमोद इत्यादि भू-उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि में भी हुआ।

दिल्ली रोड पर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र तक दोनों ओर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित था जहाँ पर केवल कुछ आवासीय कालोनियाँ जैसे सूर्य नगर, अम्बेडकर नगर, वैशाली नगर

ही विकसित हुई शेष भूमि अभी भी रिक्त है तथा यहाँ नगर विकास न्यास द्वारा नई आवासीय योजनाएँ प्रस्तावित की गयी है।

मास्टर प्लान में, वर्ष 2001 तक कुल 246 हैक्टर भूमि वाणिज्यिक प्रयोनार्थ प्रस्तावित थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2011 तक, केवल 196 हैक्टर भूमि ही वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विकसित हो सकी। मुंगास्का एवं मत्स्य ओद्योगिक क्षेत्र मे प्रस्तावित जिला केन्द्र विकसित नही हो सके। इसी प्रकार दिल्ली रोड पर प्रस्तावित भवन निर्माण सामग्री, थोक बाजार एवं रिंग रोड पर प्रस्तावित भंडागार एवं वेयर हाउसिंग क्षेत्र विकसित नही हुये।

किशनगढ रोड पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो सका तथा यहाँ आवासीय कॉलोनियाँ बस गयी। इसी प्रकार मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में दिल्ली रोड पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित था परन्तु यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं आवासीय कालोनी विकसित हुई। बाईपास रोड पर प्रस्तााावित राजकीय कार्यालय क्षेत्र भी विकसित नही हो सका तथा यहाँ आवासीय कालोनियाँ बन गयी है।

मास्टर प्लान मे कुल 188 हैक्टर क्षेत्र आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित था जिसकी अपेक्षा वर्ष 2011 तक कुल 84 हैक्टर क्षेत्र ही विकसित हो सका। वर्ष 2001 तक कुल 464 हैक्टर क्षेत्र सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित था जिसकी अपेक्षा वर्ष 2011 तक कुल 309 हैक्टर क्षेत्र ही उन्नत हो सका। उत्तर में रिंग रोड पर एक बड़ा शैक्षाणिक क्षेत्र प्रस्तावित था जो विकसित नही हो सका वहाँ पर अधिकांश भाग में आवासीय कालोनियाँ बस गयी।

मास्टर प्लान मे वर्ष 2001 तक कुल 628 हैक्टर क्षेत्र परिसंचरण हेतु प्रस्तावित था जिसकी अपेक्षा वर्ष 2011 तक कुल 526 हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र ही विकसित हो सका। दिल्ली रोड पर प्रस्तावित ट्रक स्टैड एवं नया बस स्टैड विकसित नहीं हो सके। इटराना के दक्षिण से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक रेलवे लाईन साइडिंग प्रस्तावित थी जिसका निर्माण नहीं हो सका।

नियोजन की संकल्पना 3

भू-उपयोग योजना, नगर नियोजन की वह संकल्पना है जो शहर की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके भावी आकार, स्वरूप, आकृति एवं विकास की तस्वीर प्रस्तुत करती है। सर्वोत्तम नियोजन वह है जो वर्तमान को समायोजित करते हुए भविष्य में शहर के विकास हेतु उचित मार्गदर्शन एवं नीतिगत आलेख प्रस्तुत करे, ताकि नगर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप विकृत न हो और भविष्य के विकास को भी गति प्रदान हो सके।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मास्टर प्लान में पूरे शहर के बारे में अध्ययन कर उसके सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास के बारे में उचित सुझाव दिये जाते है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के आर्थिक विकास को गति एवं निवासियों को स्वस्थ नगरीय जीवन प्रदान करना है। अतः इसके अन्तर्गत वर्तमान समस्याओं के निराकरण के साथ ही भविष्य की शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित प्रस्ताव दिये जाते है। इस प्रकार मास्टर प्लान, भविष्य में नगर के विकास कार्यों के लिये मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।

मास्टर प्लान दीर्घकालीन योजना के रूप में अन्य सभी नगरीय योजनाओं की संरचना को निर्देशित करता है अतः भू-उपयोग योजना तैयार करते समय अनेक विषय वस्तुओं जैसे- नगर के सामाजिक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्वरूप, परिसंचरण, जल एवं सीवरेज व्यवस्था, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव एवं बेहतर जिन्दगी के प्रमुख वैचारिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके सामांजस्य से तैयार किया जाता है ताकि जब मास्टर प्लान पर आधारित अन्य नगरीय योजनाओं को तैयार किया जाए तब उनके उद्देश्यों के बीच टकराव न हो एवं योजना का क्रियान्वयन बिना किसी कठिनाई के सुगमता पूर्वक किया जा सके।

अलवर का मास्टर प्लान उपरोक्त वैचारिक परिदृष्य एवं अगले बीस वर्ष (2011-2031) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

अलवर का मास्टर प्लान यहाँ के नागरिकों की आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ समय-समय पर निरन्तर विचार-विमर्श कर उनके सहयोग से तैयार किया गया है। यह दस्तावेज आने वाले 20 वर्षों (2011-2031) में व्यक्तियों, समूहों एवं राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास के संदर्भ में लिये जाने वाले निर्णयों बाबत मानक स्तर एवं मार्गदर्शन करेगा।

यह योजना इस शहर के नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं स्वप्नों की जमीनी रूपरेखा है। आशा की जाती है कि इस मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से अलवर में सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ अनेक नयी सुविधाएँ, व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर भी जनता के लिये उपलब्ध हो सकेंगे।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

नियोजन की नीति निर्धारण हेतु आधार बिन्दु:

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परियोजना की, क्षेत्रीय योजना 2021 के अन्तर्गत चयनित प्राथमिक शहरों के लिए निर्धारित नीतियाँ।
ii. अलवर के प्रथम मास्टर प्लान (1988-2001-2011) के क्रियान्वयन की समीक्षा से उपजे निष्कर्ष।
iii. अलवर शहर का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व।
iv. अलवर की नैसर्गिक सम्पदा एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को दृष्टिगत रखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की सम्भावना।
v. सुनियोजित शहरी विकास के लिए जारी राज्य सरकार के निर्देश।
vi. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शहरी विकास की अन्य उभरती नीतियाँ।

3.1 (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परियोजना (2021) के अन्तर्गत अलवर जैसे प्राथमिक शहरों के लिए निर्धारित प्रमुख नीतियों का विवरण निम्नानुसार है:

- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहे तीव्र विकास को नियंत्रित करना तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाकर उन्हें आकर्षक बनाना।

- रोजगार को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए आर्थिक क्रियाकलापों जैसे: उद्योग, व्यावसायिक गति विधियां और वाणिज्य तथा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों का विकास किया जाना।
- शहरी आधारभूत संरचना और जल आपूर्ति, सफाई, वर्षा-जल निकास, कचरा प्रबंधन, सीवरेज एवं यातायात जैसी सेवाएं उचित स्तर पर प्रदान करना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना।
- शहरी गरीब लोगों के लिए मकानों के निर्माण की विशेष व्यवस्था करना।
- रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्थानीय कारीगरों के कौशलों में सुधार करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्रो में लघु पैमाने के उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना।
- इन शहरों से दिल्ली एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर परिवहन की सुगमता के लिए एक्सप्रेसवे, बाईपास, राज्यमार्ग एवं क्षेत्रीय सड़कों का निर्माण करना।
- रेलवे लाईन एवं दूरसंचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- ऐसे विशिष्ट भूमि उपयोगों के लिए क्षेत्र आरक्षित करना जिनकी इन नगरों में विशेष महत्ता हो। इसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थानिक, राजकीय कार्यालय एवं अन्य संस्थानों आदि का विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- इन नगरों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना तथा इसके लिए भूमि, विद्युत, जल, परिवहन एवं अन्य आवश्यक सुविधाए प्रदान करना।
- नगरों में प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए द्वितीय (Secondary) एवं तृतीय (Tertiary) श्रेणी के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इन नगरों की ढांचागत संस्थागत सुविधा को सुदृढ़ करना, जिससे यहाँ पर पूंजी निवेशक, उद्यमी एवं अन्य एजेंसियों को आने में सुविधा होगी।
- दिल्ली में थोक व्यापार को नियंत्रित करना एवं प्राथमिक नगरों में ऐसे व्यापार को विकसित करना। अलवर में भवन सामग्री-पत्थर, संगमरमर आदि में थोक व्यवसाय विकसित किये जा सकते है।

- केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जिनका दिल्ली में रखना अत्यावश्यक नहीं है उन्हे प्राथमिक नगरों में स्थानान्तरित करना एवं इसके लिए आवास, द्रुतगामी परिवहन सुविधा आदि प्रदान करना।
- अलवर में इंजीनियरिंग, धातु उद्योग, चर्म उद्योग, मूर्तिकारी, कालीन बुनना एवं मिट्टी के बर्तन जैसे उद्योग स्थापित किये जा सकते है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक सामान्य आर्थिक नीति का निर्धारण आवश्यक है। जिससे सारे क्षेत्र में समान रूप से कर, यातायात शुल्क एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

3.1 (2) अलवर के प्रथम मास्टर प्लान (1988-2001-2011) के क्रियान्वयन की समीक्षा से उपजे निष्कर्ष:

पूर्व मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परियोजना (2001) की नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया था, जिसके अन्तर्गत दिल्ली से उद्योग, सरकारी कार्यालय एवं थोक व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रीय शहरों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। परन्तु समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिल्ली से प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का स्थानान्तरण अलवर में नहीं हो सका। यह भी देखा गया कि औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 की ओर आकर्षित हो रही है जो बहरोड-कोटपुतली होते हुए जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8, जो पूर्व में अलवर से होते हुए जाता था, के परिवर्तन के कारण अलवर का विकास आपेक्षित गति से नहीं हो सका।

समीक्षा में यह भी पाया गया गया कि अलवर में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियों का केन्द्रीयकरण अलवर शहर में पर्याप्त जमीनों की उपलब्धता एवं जयपुर तथा दिल्ली से सरल सम्पर्कता के चलते, तीव्र गति से प्रारम्भ हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह तय किया गया कि उपरोक्त प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए नये मास्टर प्लान में पर्याप्त भूमि तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

समीक्षा के आधार पर निम्न अन्य नीतियाँ निर्धारित की गयी:

- शहरी विकास में, मिश्रित भू-उपयोग एक अपरिहार्य आवश्यकता बन चुका है। अतः महत्वपूर्ण सड़कों के साथ मिश्रित भू-उपयोग का प्रावधान करना उपयुक्त होगा।
- वर्तमान ट्रक स्टैड, बस टर्मिनस, थोक व्यापार केन्द्र एवं भण्डारण जैसे उपयोग पुराने शहरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण काफी असुविधाजनक हो गये है, प्रस्तावित नये शहरी क्षेत्र में इन सुविधाओं का प्रावधान किया जाना उपयुक्त होगा।
- वर्तमान विकसित क्षेत्र में बढ़ते यातायात के कारण यातायात अवरूद्धता की समस्या बढ़ती जा रही है। अतः अलवर में सार्वजनिक यातायात प्रणाली प्रारम्भ किया जाना उपयुक्त होगा।
- राजगढ़ रोड की दिशा से काफी बड़ी संख्या में ट्रक पुराने शहरी क्षेत्र से गुजरते हुए मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन जाते है, जिसके कारण अनावश्यक यातायात अवरूद्धता तथा वाहन पार्किंग की समस्याएँ उत्पन्न होती है। अतः राजगढ़ रोड से सीधे मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र से सम्पर्क का प्रावधान करना उपयुक्त होगा।

3.1 (3) अलवर शहर का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वः

अलवर प्राचीन मत्स्य राज्य की राजधानी रहा है तथा वर्तमान में जिला मुख्यालय है। परिवहन की दृष्टि से भी अलवर की क्षेत्रीय महत्ता है यह अलवर-अहमदाबाद बड़ी रेल लाइन एवं अलवर-मथुरा रेलवे लाईन के जंक्शन पर स्थित है। यह दिल्ली, जयपुर, बहरोड़, दौसा, भरतपुर से राजमार्गो द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः अपने क्षेत्र में इसकी सबसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में कार्यशीलता बनी रहेगी। साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र के प्रमुख विकास केन्द्र के रूप में भी प्रतिष्ठित रहेगा। अतः क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अलवर के लिए निम्न नीतियाँ निर्धारित की गयी:

- अलवर जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से धनी है अतः यहाँ कृषि आधारित उद्योग एवं अनाज मंडी, भंडागार आदि आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

- अलवर की जयपुर एवं दिल्ली से प्रस्तावित द्रुतगामी रेल सेवा की सम्पर्कता के चलते अलवर अन्य आर्थिक गतिविधियों यथा वाणिज्यिक केन्द्र, नये आयामों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक विशेष केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

3.1 (4) अलवर की नैसर्गिक सम्पदा एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना:

अलवर शहर, दिल्ली, जयपुर तथा आगरा इस स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण (गोल्डन टूरिज्म ट्रँगल) के बीचों बीच स्थित है। यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातत्व के महत्वपूर्ण स्थानों को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में अलवर जयपुर एवं दिल्ली से केवल 2 घंटे से कम की दूरी पर होगा, अलवर शहर को वैश्विक स्तर के पर्यटन एवं मनोरंजन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

3.1 (5) शहरी विकास के लिए जारी राज्य सरकार के निर्देश।

शहरी विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा निम्न नई नीतियाँ जारी की गयी है:

- एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी: इसके तहत आवासनहीन, आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों (कच्ची बस्ती सहित) हेतु आवासों की व्यवस्था।
- राजीव आवास योजना के तहत शहर को कच्ची बस्ती मुक्त शहर के रूप में विकसित किया जाना।
- शहरी विकास में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा टाऊनशिप पॉलिसी जारी की गयी है। अतः मास्टर प्लान में टाऊनशिप पॉलिसी के अनुरूप प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवश्यक क्षेत्र चिन्हित किया जाना।

3.1 (6) शहरी विकास की अन्य उभरती नीतियाँ।

- जल की उपलब्धता को भविष्य की एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है। अतः अलवर के लिए एक शहरी स्तर पर जल संग्रहण योजना अलग से बनाये जाने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में शामिल किया जाना अपेक्षित है।
- इसी तरह से बढ़ते शहरीकरण के चलते असंतुलित पर्यावरण भी भविष्य की प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है तथा पर्यावरण संरक्षण की विशेष आवश्यकता सभी स्तरों पर अनुभव की जा रही है अतः अलवर शहर के लिए शहरी स्तर पर अलग से एक पर्यावरण संरक्षण योजना बनाया जाना अपेक्षित है।
- अलवर क्षेत्रीय एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भवनों एवं स्थलों से भरा हुआ है। इस तरह के सभी भवन आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के सभी भवन एवं स्थल के संरक्षण की आवश्यकता है। अतः इनके लिए क्षेत्रीय एवं शहरी स्तर पर ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण की योजना बनाया जाना अपेक्षित है।
- किसी भी शहर के पर्यावरण की गुणवत्ता का आधार, उस शहर के ठोस कचरा प्रबन्धन पर काफी निर्भर करता है। ठोस कचरा प्रबन्धन की अनेक वैज्ञानिक पद्धतियाँ आज के समय में उपलब्ध है। अतः अलवर शहर के लिए एक आधुनिक ठोस कचरा प्रबन्धन जिसमें चिकित्सालयों एवं उद्योगों के परिसंकटमय अवशिष्ट भी शामिल है, की उचित व्यवस्था विकसित करने के लिए शहरी स्तर पर अलग से एक योजना बनाया जाना अपेक्षित है।

भावी आकार 4

4.1 जनांकिकी

अलवर की जनसंख्या वर्ष 1971 में 1.004 लाख थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर करीब 3.81 लाख हो गई। इस प्रकार, विगत 4 दशकों में, जनसंख्या में, 281 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दशकों में, वृद्धि दर 30 से 40 प्रतिशत के बीच रही है, पिछले दो दशकों में, वृद्धि दर अपेक्षा से कम थी, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास का कम होना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का न होना है। वर्तमान में, अलवर में विकास तीव्र गति से हो रहा है तथा अनेक भवन निर्माण संस्थायें, यहाँ पर बड़े बडें आवासीय परिसरों का निर्माण कर रही है, जिनमें आधुनिक जनसुविधायें उपलब्ध है। अलवर और दिल्ली के बीच, द्रुतगामी रेल व्यवस्था प्रस्तावित है अतः आशा की जाती है कि, भविष्य में यहाँ सूचना प्राधोगिकी एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हो सकेगी। क्योंकि यहाँ पर उत्तम एवं स्वस्थ्य वातावरण युक्त, आवासीय एवं अन्य सुविधायें, लोगों को उपलब्ध हो सकेगी, जिसके कारण लोग दिल्ली अथवा अन्य बड़े नगरों की अपेक्षा, यहाँ पर निवेश करने एवं रहने के लिए आकर्षित होगे।

भविष्य में, अलवर को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के, क्षेत्रीय स्तर का शहर होने के कारण, अधिक विकास उत्प्रेरक गतिविधियों का भी लाभ मिलेगा। अतः यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर, पिछले दशक की अपेक्षा अधिक होगी। अलवर की जनसंख्या में अप्रवास (माईग्रेशन), पिछले पांच दशकों में, 15 से 25 प्रतिशत के बीच रहा है। आशा है कि आगामी दशकों में भी यह 20 प्रतिशत के करीब रहेगा।

आगामी 20 वर्षो की जनसंख्या का आंकलन, प्राकृतिक वृद्धि दर (जन्म दर एवं मृत्यु दर में अन्तर) एवं भविष्य में अनुमानित अप्रवास (माईग्रेशन), को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसके अनुसार, अलवर की वर्ष 2031 की जनसंख्या, लगभग 7,60,000 हो जाने का अनुमान है। इसका विवरण तालिका संख्या - 18 में दर्शाया गया है:

तालिका - 18

जनसंख्या आंकलन : अलवर 2031

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर प्रतिशत
1.	1971	1,00,378	38.10
2.	1981	1,45,795	45.30
3.	1991	2,10,146	44.10
4.	2001	2,66,203	26.68
5.	2011	3,81,400	34.60
6.	2021	5,35,000	40.27
7.	2031	7,60,000	42.05

स्त्रोतः जनगणना भारत सरकार एवं सलाहकार संस्था के अनुमान।

4.2 व्यावसायिक संरचना 2031

अलवर में, कार्यशील सहभागिता अनुपात 2001 में 28.6 प्रतिशत एवं 2011 में 30 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1981 में, यह सिर्फ 26 प्रतिशत था, इस प्रकार कार्यशील सहभागिता के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। भविष्य में भी, अलवर में, रोजगार के साधनों में, वृद्धि होने की सम्भावना है। इस पृष्ठभूमि के चलते, वर्ष 2031 में कार्यशील सहभागिता का अनुपात 35 प्रतिशत के करीब अनुमानित किया गया है।

सेवा क्षेत्र एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ, अलवर की रोजगार की मुख्य गतिविधियाँ रही है तथा इसमें बढ़ोतरी हो रही है। उद्योग क्षेत्र में, आपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण, वर्ष 1981 से 2001 में, इसमें 4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। अलवर के उत्तर में, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 8, पर भिवाड़ी, धारूहेडा, निमराना, शाहजहापुर औद्योगिक केन्द्रों के विकास के कारण, भविष्य में भी अलवर में बड़े उद्योगों के विकास की सम्भावना कम है। व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थानों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की गति के कारण, अलवर में सेवा क्षेत्र में, रोजगार की सम्भावना बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पर्यटन उद्योग के विकास के चलते, वाणिज्यिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अतः सेवा क्षेत्र एवं

वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि की सम्भावना बनी रहेगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2031 के लिए अलवर में कार्यशील व्यक्तियों की, "प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना" को तालिका सख्या - 19 में दर्शाया गया है:

तालिका -. 19

प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना, अलवर (2011 - 2031)

क्र.सं.	व्यवसाय	2011		2031	
		कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियॉ	4,600	4.0	7,980	3.0
2	उद्योग	24,729	21.5	55,860	21.0
3	निर्माण कार्य	5,176	4.5	13,300	5.0
4	व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ	25,880	22.5	61,180	23.0
5	परिवहन एवं संचार	10,352	9.0	23,940	9.0
6	अन्य सेवाएँ	44,283	38.5	1,03,740	39.0
योग		**1,15,020**	**100%**	**2,66,000**	**100.0**

स्त्रोत: जनगणना विभाग राजस्थान एवं सलाहकार संस्था द्वारा अनुमानित।

4.3 नगरीय क्षेत्र

अलवर के, वर्ष 2031 के नगरीय क्षेत्र के विस्तार की सम्भावना का निर्धारण, वर्तमान भौतिक विशेषताओं, विकास की प्रवृति एवं दिशा को ध्यान में रखकर किया गया है। अलवर के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़िया है, जो इस दिशा में शहरी विकास की सीमा निर्धारित करती है। वर्तमान शहरी विकास तीन मुख्य सड़कों के साथ लगते हुए क्षेत्रों में होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। उत्तर में बहरोड-तिजारा रोड पर वर्तमान में सबसे अधिक विकास हो रहा है। नगर विकास न्यास द्वारा भी तिजारा रोड एवं बहरोड रोड के बीच के क्षेत्र में कई आवासीय योजनायें प्रस्तावित है, जिनमें गुलमोहर योजना, दीनदयाल नगर, शालीमार, विज्ञान नगर प्रमुख है। अत: तिजारा एवं बहरोड रोड का क्षेत्र, भविष्य में विकास की एक प्रमुख दिशा होगी। पूरब दिशा में

पुरानी दिल्ली रोड पर, नगर विकास न्यास की, त्रिवेणी नगर, रोहिणी नगर, साकेत नगर, अरावली विहार आदि आवासीय योजनायें प्रस्तावित है। इसी तरफ न्यास की वर्तमान बड़ी आवासीय योजनायें जैसे, सूर्य नगर, वैशाली नगर, अम्बेडकर नगर आदि विकसित की गयी है। अतः दिल्ली रोड पर, भविष्य के विकास की सम्भावना बनी हुई है। दक्षिण में, राजगढ़ रोड एवं जयपुर रोड के साथ, अधिकतर रिसार्ट, होटल एवं शैक्षणिक संस्थानों की ही स्थापना हुई है। दक्षिण-पूर्व में, ईटराना एवं मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के कारण विकास सीमित है। राजगढ़ रोड से बहरोड रोड तक, नया बाईपास बन जाने के कारण, अधिकतर विकास बाईपास रोड के समीपवर्ती क्षेत्रों में हो रहा है। उत्तर-पूर्व में ही तुलेड़ा रोड के साथ द्रुतगामी रेल सेवा के स्टेशन भी स्थापित होने की सम्भावना है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बहरोड, तिजारा, दिल्ली एवं राजगढ़ रोड, के क्षेत्र को ही, मुख्य रूप से भविष्य में नगरीयकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांकः 13.10.2011 को अधिसूचना क्रमांक प. 10(23)/न.वि.वि./3/10 एवं दिनांकः 17.09.2012 को अधिसूचना क्रमांक प. 10(23)/न.वि.वि./3/2011 द्वारा अलवर के नगरीय क्षेत्र में 88 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। इस अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 27,284 हैक्टर है अधिसूचना की प्रतियाँ परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न की गयी है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

क्षितिज वर्ष 2031 में, अलवर की जनसंख्या 7,60,000 होने का अनुमान है। वर्ष 2011 में, यहाँ की जनसंख्या 3,81,400 लाख है। अतः वर्ष 2031 तक अलवर में 3,78,600 अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि होगी। भविष्य में करीब 3,78,600 व्यक्तियों के लिये रहने, कार्यस्थल, आमोद-प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक रहेगा। सामान्य नगर नियोजन के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की घनता 65 व्यक्ति प्रति हैक्टर के आधार पर, कुल 5953 हैक्टर अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है।

वर्ष 2011 में 5807 हैक्टर, नगरीयकृत क्षेत्र फैला हुआ था अतः वर्ष 2031 तक कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र, करीब 11,760 हैक्टर अनुमानित किया गया है।

4.5 योजना क्षेत्र

शहर के भावी विकास को योजनाबद्ध रूप से विकसित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को 5 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन योजना क्षेत्रों के निर्धारण में, वर्तमान प्रतिरूप यथा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रमुख निर्माण एवं भविष्य में आने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखा गया है। रोजगार, आवास, वाणिज्यिक, सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रत्येक योजना क्षेत्र यथा सम्भव आत्मनिर्भर ईकाई के रूप में होंगे। विस्तृत नियोजन के लिए, इन योजना क्षेत्रों को, छोटे-छोटे उप क्षेत्रों में विभाजित कर, सेक्टर प्लान के माध्यम से, चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा। प्रस्तावित नगरीयरण योग्य क्षेत्र एवं अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र को उपांत पट्टी योजना क्षेत्र रखा गया है जो मुख्यतः ग्रामीण प्रकृति का होगा। इन सभी योजना क्षेत्रों का विवरण, नाम एवं क्षेत्रफल तालिका - 20 में दिया गया है:

तालिका -. 20
योजना क्षेत्र अलवर - 2031

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)
अ.	पुराना शहर योजना क्षेत्र	800
ब.	मोती डूंगरी योजना क्षेत्र	2,080
स.	मत्स्य औद्योगिक योजना क्षेत्र	4,800
द.	तिजारा रोड योजना क्षेत्र	1,430
य.	उत्तर-पूर्व योजना क्षेत्र	2,650
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**11,760**
ल.	उपांत पट्टी योजना क्षेत्र	15,524
	कुल नगरीय क्षेत्र	**27,284**

प्रत्येक योजना क्षेत्र का सीमाकंन, मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के मानचित्र पर दर्शाया गया है, साथ ही इस मानचित्र पर गाँवों की सीमा, वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा प्रस्तावित विकसित शहरी क्षेत्र की सीमायें भी दर्शायी गयी है। प्रस्तावित प्रथम पांच योजना क्षेत्र, वर्ष 2031 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत है। प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित

करते हुए एक उपांत पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित है। योजना क्षेत्रों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

अ. पुराना शहर योजना क्षेत्र:

पुराना शहर योजना क्षेत्र, अलवर का वर्तमान मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है। दक्षिण में इसकी सीमा विनय मार्ग एवं पूर्व में रेलवे लाईन द्वारा निर्धारित है। पश्चिमी सीमा पहाड़ी तक सीमित है। इसकी उत्तरी सीमा जेल रोड तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पुराना किला क्षेत्र, लाजपत नगर, आर्य नगर, शिवाजी पार्क, विजय नगर, आवासन मण्डल की कॉलोनियाँ आदि शामिल है। इसी क्षेत्र में वर्तमान में जिलाधीश कार्यालय, बस स्टैंड, मुख्य व्यावसायिक केन्द्र, नगरपालिका कार्यालय आदि स्थित है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 800 हैक्टर है यह सम्पूर्ण क्षेत्र विकसित है।

ब. मोती डूंगरी योजना क्षेत्र:

मोती डूंगरी योजना क्षेत्र में, विनय मार्ग के दक्षिण का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पूर्व में रेलवे लाईन के पश्चिम तक का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में, पूर्व विकसित स्थल जैसे राजऋषि कालेज, मोती डूंगरी एवं उसके दक्षिण की विकसित कालोनियाँ सर्मिलित है।

इस योजना क्षेत्र में, दक्षिण की तरफ, नया शहरी विकास प्रस्तावित है। अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे सरिस्का, भर्तृहरि, पांडूपोल, तालवृक्ष, जयसमन्द, सिलीसेट को जाने वाला मार्ग, इसी क्षेत्र में स्थित होने के कारण, इस क्षेत्र में मुख्यतया पर्यटन आधारित उपयोग जैसे पर्यअन सुविधा केन्द्र, खेल गाँव, मनोरंजन क्षेत्र, क्षेत्रीय पार्क आदि ही प्रस्तावित किये गये है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 2080 हैक्टर है।

स. मत्स्य औद्योगिक योजना क्षेत्र

दिल्ली रोड के दक्षिण एवं रेलवे लाईन के पूर्व का सम्पूर्ण क्षेत्र एक अलग योजना क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित है। इटराना एवं मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र इस योजना क्षेत्र के वर्तमान प्रमुख भू-उपयोग है। इस क्षेत्र में नगर विकास न्यास की अम्बेडकर नगर एवं

वैशाली नगर, दो प्रमुख आवासीय कालोनियाँ है। इस योजना क्षेत्र में, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त, जिला व्यावसायिक केन्द्र, ट्रक स्टैंड, उच्च शैक्षणिक केन्द्र आदि प्रस्तावित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4800 हैक्टर है।

द. तिजारा रोड योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र की दक्षिणी सीमा जेल मार्ग, पूर्वी सीमा, मथुरा रेलवे लाईन एवं पश्चिमी सीमा, पहाडी द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर में, इसकी सीमा प्रस्तावित बहरोड-तिजारा रोड की सम्पर्क सड़क तक है। इस क्षेत्र में, न्यास की बुद्ध विहार, गुल मोहर, दीनदयाल नगर, विज्ञान नगर, शालीमार नगर कॉलोनियाँ है। उक्त क्षेत्र, भविष्य में, नये उत्प्रेरक तत्वों का, प्रमुख केन्द्र होगा। इस क्षेत्र में, नये शैक्षणिक संस्थान, सूचना प्राद्योगिकी केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, चिकित्सालय एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना के लिए, पर्याप्त भूमि आरक्षित की गयी है। इसका कुल क्षेत्रफल 1430 हैक्टर है।

य. उत्तर-पूर्व योजना क्षेत्र

दिल्ली रोड के उत्तर एवं रेलवे लाईन के पूर्व का क्षेत्र, इस योजना क्षेत्र में प्रस्तावित है। उत्तर में, इस क्षेत्र की सीमा, मथुरा रेलवे लाइन तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में अनाज मंडी, ट्रक स्टैंड, सूर्य नगर आवासीय कॉलोनी एवं दिल्ली रोड पर प्रस्तावित नयी आवासीय कॉलोनियाँ सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में भवन सामग्री, थोक बाजार, हार्डवियर एवं मशीनरी बाजार, स्टोन मार्केट आदि प्रस्तावित है। इस योजना क्षेत्र के अन्दर ही प्रस्तावित द्रुतगामी रेल सेवा का स्टेशन यार्ड भी स्थित रहेगा। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2650 हैक्टर है।

ल. उपांत पट्टी योजना क्षेत्र:

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियन्त्रित एवं अनियोजित विकास को रोकने के लिए उपांत पट्टी योजना क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में मुख्यतया कृषि एवं तत्सम्बधी गतिविधियों की

प्रधानता रहेगी तथा राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड द्वारा लागू क्षेत्रीय योजना 2021 में अनुज्ञेय गतिविधियाँ या इनके अधीन बनाई जाने वाली उप क्षेत्रीय योजना या अन्य सम्बन्धित उपयोजनाएँ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपयोग आदि अनुज्ञेय होंगे।

भू-उपयोग योजना 5

अलवर का मास्टर प्लान तैयार करने के लिये आधारभूत सूचनाओं, विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणों, विकास की प्रवृति एवं दिशा, जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक संरचना, सड़क यातायात व्यवस्था एवं भूमि उपलब्धता आदि का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा इनको आधार मानकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उक्त अध्ययन, मास्टर प्लान को आधारभूत ढाँचा प्रदान करते हैं। जिन मानदण्ड़ों के आधार पर प्लान तैयार किया गया है, उनको शहर के भावी विकास के सन्दर्भ में मूल्यांकित किया गया है। प्रस्तावित विकास "प्रस्तावित भू-उपयोग योजना 2031" में उद्धरित है। प्लान का आधार वर्ष 2011 एवं क्षैतिज वर्ष 2031 है। अलवर की प्रस्तावित भू-उपयोग योजना, प्रमुख शहरी समस्याओं के उचित निवारण करने में सहायता प्रदान करेगी। इस प्लान का उद्धेश्य अलवर के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को सतुंलित एवं एकीकृत रूप से विकसित किया जाना है, साथ ही नगर की भावी वृद्धि की दिशा को भी निर्धारित करना है। इसके लिये नागरिकों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 2031 के लिये प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 9,865 हैक्टर भूमि नगरीय विस्तार के लिए विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से आवासीय प्रयोजनार्थ 4,550 हैक्टर क्षेत्र रखा गया है, जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 46.10 प्रतिशत है जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र 6.80 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र 14.70 प्रतिशत, राजकीय 0.60 प्रतिशत, आमोद-प्रमोद 5.20 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु 12.40 प्रतिशत क्षेत्र तथा परिसंचरण उपयोग हेतु 11.60 प्रतिशत क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है।

पहाड़ियाँ, जलाशय, नर्सरी, बाग, क्षेत्रीय उद्यान एवं राजकीय आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये, कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 11,760 हैक्टर प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण तालिका संख्या - 21 में दर्शाया गया है:

तालिका - 21
प्रस्तावित भू-उपयोग योजना, अलवर - 2031

क्र.सं.	भू-उपयोग	भू-उपयोग (हैक्टर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	4,550	46.10	38.70
2.	वाणिज्यिक	667	6.80	5.70
3.	औद्योगिक	1,450	14.70	12.30
4.	मिश्रित भू उपयोग	255	2.60	2.20
5.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	58	0.60	0.50
6.	आमोद-प्रमोद	515	5.20	4.40
7.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1,220	12.40	10.40
8.	परिसंचरण	1,150	11.60	9.80
प्रस्तावित कुल विकसित क्षेत्र		**9,865**	**100.00**	**84.00**
9.	राजकीय आरक्षित क्षेत्र	1,185		10.00
10.	नहर, तालाब एवं पहाड़ी	290		2.50
11.	वृक्षारोपण, नर्सरी एवं फलोद्यान आदि	255		2.20
12.	क्षेत्रीय उद्यान	165		1.30
नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		**11,760**		**100.00**

स्त्रोतः सलाहकार का आंकलन।

5.1 आवासीय

भू-उपयोग प्रस्तावों में, कुल 4,550 हैक्टर या 46.10 प्रतिशत भाग आवासीय भू-उपयोग का है। जिससे सम्पूर्ण शहर की आवासीय घनता 167 व्यक्ति प्रति हैक्टर आती है।

अलवर शहर में, वर्तमान में, परकोटा क्षेत्र में, आबादी का घनत्व अधिक है। आशा की जाती है कि भविष्य में शहर के बाहरी क्षेत्रों में सुविधायुक्त आवासीय कॉलोनियों के विकास से पुराने शहर से लोगों का बाहरी क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। पुराने शहर के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत भूमिगत सीवरेज, ड्रैनेज, विद्युत लाईन एवं सड़कों का सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

नगर के, वर्तमान आवासीय घनत्व, बसावट, आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, आवासीय क्षेत्र को चार आवासीय घनत्व की श्रेणियों यथा 100 से 200, 200 से 300 एवं 300 से 500 एवं 500 से अधिक व्यक्ति प्रति हैक्टर, के स्तर पर बसाया जाना प्रस्तावित है। सामान्य रूप से शहर के केन्द्रीय क्षेत्रों, कार्य स्थलों से निकट लगते हुये क्षेत्रों में आबादी का घनत्व अधिक रखा गया है, जबकि केन्द्र से दूर के क्षेत्रों में घनत्व को क्रमशः कम रखा गया है। नयी आवासीय योजनायें सामान्यतया 200 व्यक्ति प्रति हैक्टर की घनता पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.1 (1) आवासन

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप, प्रत्येक नगरीय ईकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटी इकाई को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते है। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुछ मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना ईकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर, प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्योग, चिकित्सा एवं जनसुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार से, चार से पांच योजना इकाईयों को मिलाकर, एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता है। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में, एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है। इस प्रकार अलवर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 7,60,000 जनसंख्या को, विभिन्न योजना क्षेत्रों में, बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टाऊनशिप पालिसी में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजनाएँ बनाते समय किया जायेगा।

5.1 (2) एफोर्डेबल हाऊसिंग

राजस्थान में आवासविहीन, आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्गो (कच्ची बस्ती सहित) हेतु आवासों की व्यवस्था के लिए, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में "एफोर्डेबल हाऊसिंग नीति 2009" जारी की गयी। इस नीति के अन्तर्गत, राज्य सरकार के द्वारा, सभी विधियों (Models), जिनके माध्यम से एफोर्डेबल हाऊसिंग की व्यवस्था की जा सकती है, को शामिल किया गया है।

राज्य सरकार की उपरोक्त नीति एवं दिशा निर्देश की अनुपालना में नई प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में राज्य सरकार की नीति के अनुसार अल्प आय वर्ग हेतु आवासों/भवनों का प्रावधान रखा जावेगा। मास्टर प्लान में दर्शित उपांत पट्टी योजना क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा एफोर्डेबल आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनाएँ स्वीकृत की जा सकेगी।

5.1 (3) कच्ची बस्ती सुधार योजनाएँ

राजस्थान सरकार के द्वारा अलवर शहर को राजीव गांधी आवास योजना के तहत चयनित कर कच्ची बस्ती मुक्त शहर के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तद्नुसार सभी कच्ची बस्तियों के नागरिकों को योजनाबद्ध तरीके से बसाते हुए सस्ते आवास प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कच्ची बस्तियों के पुनर्विकास की विस्तृत योजना बनाकर उनमें आवश्यक जनसुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, पार्क, सामुदायिक केन्द्र, सीवरेज आदि प्रदान करना प्रस्तावित है। पहाड़ी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों, सड़कों पर स्थित कच्ची बस्ती निवासियों को सुविधा युक्त निर्मित मकानों की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5.1 (4) टाऊनशिप जोन

राजस्थान के शहरों में नियोजित एवं समन्वित विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टाऊनशिप पालिसी लागू की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी भागीदारी से समस्त मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, पार्क, जल वितरण, सीवरेज, सामुदायिक सुविधाएँ आदि से युक्त आवासीय क्षेत्रों / परिसरों का विकास करना है।

उक्त पालिसी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली रोड के उत्तर में ऐसे टाऊनशिप योजनाओं के लिए भू-उपयोग योजना में 365 हैक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

5.2 वाणिज्यिक

अपनी क्षेत्रीय स्थिति के कारण, अलवर आस-पास के क्षेत्रों के लिये प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, स्थिति होने के कारण तथा पर्यटन, शैक्षाणिक, व्यावसायिक संस्थानों की इस शहर में बढ़ती स्थापना के फलस्वरूप यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियों में और वृद्धि सम्भावित है। अलवर में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के अन्तर्गत, क्षितिज वर्ष 2031 तक लगभग 61,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना है, जो कुल कार्यरत व्यक्तियों का 23 प्रतिशत होगा। मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों को विभिन्न स्तरों पर इस तरह से नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है कि लोगों को अपने निवास स्थल के समीप ही उक्त सुविधाएँ मिल सकें। वर्ष 2031 तक प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या - 22 में दर्शाया गया है:

तालिका - 22
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रो का विवरण - अलवर - 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	शहरी केन्द्र	62
2.	उप शहरी केन्द्र	20
3.	जिला केन्द्र	50
4.	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	110
5.	भण्डारण एवं गोदाम	190
6.	ट्रान्जिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट	37
7.	अन्य व्यावसायिक केन्द्र	198
योग		**667**

5.2 (1) शहरी केन्द्र

पुराने शहर के अन्दर के वाणिज्यिक क्षेत्रों ने मुख्य व्यापारिक केन्द्र का दर्जा हासिल कर रखा है। आर्थिक गतिविधियों एवं ऐतिहासिक कारणों से यह भविष्य में भी मुख्य शहरी व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। इस क्षेत्र से कुछ थोक व्यापार गतिविधियों, जैसे लौह एवं मशीनरी व्यवसाय, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, टिम्बर मार्केट, थोक

फल एवं सब्जीमण्डी इत्यादि, वाणिज्यिक गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि इस क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश सीमित हो एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। पुराने जनाना अस्पताल के स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप उपलब्ध स्थल व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में योजनाबद्ध रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य बाजार, घंटाघर से होप सर्कस, बजाजा बाजार में वाहनों का प्रवेश रोककर, इसे एक पैदल बाजार के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 (2) उप शहरी केन्द्र

अलवर शहर का भावी विकास मुख्यतयः दिल्ली रोड के उत्तर में प्रस्तावित है, यह क्षेत्र पुराने शहर के अन्दर स्थित मुख्य व्यावसायिक केन्द्र से काफी दूर हो जायेगा। अतः भू-उपयोग योजना में, सूर्य नगर के उत्तर-पूर्व में, निर्माणाधीन बाईपास रोड पर 20 हैक्टर क्षेत्र में, एक उप शहरी केन्द्र प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र, पुलिस स्टेशन एवं स्थानीय कार्यालय, पुस्तकालय आदि जन सुविधाएँ भी विकसित की जायेगी। यह इस क्षेत्र का, प्रमुख वाणिज्यिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

5.2 (3) जिला व्यावसायिक केन्द्र

शहरी केन्द्र में, वाणिज्यिक गतिविधियों एवं यातायात के भार को कम करने की दृष्टि से एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु, पांच योजना क्षेत्रों में जिला केन्द्र प्रस्तावित किये गये है इन जिला केन्द्रों में खुदरा दुकाने, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, सामुदायिक भवन, मनोरंजन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, अग्नि शमन केन्द्र, डाक-तार घर कार्यालय, पुलिस स्टेशन एवं व्यावसायिक संस्थानों के कार्यालय, बैंक आदि का प्रावधान रखा जायेगा। उक्त जिला केन्द्र योजना क्षेत्र के वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक केन्द्र के रूप में कार्य करेगे। प्रस्तावित जिला व्यावसायिक केन्द्रों का विवरण तालिका संख्या - 23 में दर्शाया गया है:

तालिका - 23
जिला व्यावसायिक केन्द्रों का विवरण - अलवर - 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	मोती डूंगरी जिला केन्द्र	6
2.	मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र जिला केन्द्र	18
3.	बाईपास जिला केन्द्र	10
4.	शालीमार जिला व्यावसायिक केन्द्र	10
5.	पुराना बस स्टैंड	6
योग		**50**

5.2 (4) अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र

शहरी एवं जिला केन्द्रों के अतिरिक्त, सामान्य जन सुविधा, फुटकर व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक उपयोग, होटल रेस्टोरेंट इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियों को सुविधा एवं सुगम स्थानीय पहुंच की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, पूरे शहर में समान रूप से अनेक स्थल प्रस्तावित किये गये है। योजनाएँ बनाते समय भी, स्थानीय स्तर के, व्यावसायिक केन्द्र एवं सुविधा दुकानों का प्रावधान किया जायेगा।

5.2 (5) थोक व्यापार

राष्ट्रीय राजधानी एवं जिला मुख्यालय तथा उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्र में स्थित होने के कारण, अलवर की कृषि उपज मंडी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान कृषि उपज मंडी दिल्ली रोड पर, स्टेशन के पूर्व में स्थित है। अलवर में अन्य विशेष वस्तुओं के थोक व्यापार स्थल जैसेः भवन सामग्री, हार्डवियर और मशीनरी, पत्थर, बाजार आदि निर्धारित नहीं है। अतः भू-उपयोग योजना में, दिल्ली रोड पर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में इन वस्तुओं के थोक व्यापार हेतु स्थल, चिन्हित किये गये है। थोक व्यापार हेतु स्थलों का विवरण तालिका संख्या - 24 निम्नानुसार हैः

तालिका - 24

थोक व्यापर हेतु स्थलों का विवरण - अलवर - 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	अनाज मंडी - स्टेशन रोड	42
2.	भवन सामग्री - दिल्ली रोड	20
3.	पत्थर बाजार - दिल्ली रोड	25
4.	हार्डवियर एवं मशीनरी - दिल्ली रोड	15
5.	ऑटो मोबाईल मार्केट - मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में ट्रक स्टेण्ड के पास	8
योग		**110**

5.2 (6) भण्डारण एवं गोदाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत, दिल्ली से भण्डारण एवं क्षेत्रीय गोदामों को, प्राथमिक शहरों के रूप में चयनित शहरों में, स्थानान्तरित किया जाना है। इस नीतिगत निर्णय के अनुरूप एवं अलवर के क्षेत्रीय परिपेक्ष में केन्द्रीय भूमिका को देखते हुए, भू-उपयोग योजना में, भण्डारण एवं गोदाम के लिए, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में, दिल्ली रोड पर एवं दक्षिण में ट्रक स्टैंड के पास, इस उपयोग के लिए स्थल प्रस्तावित किये गये है। भण्डारण एवं गोदाम हेतु स्थलों का विवरण तालिका संख्या - 25 निम्नानुसार है:

तालिका - 25

भण्डारण एवं गोदाम हेतु स्थलों का विवरण - अलवर - 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र ट्रक स्टेण्ड के पास	66
2.	दिल्ली रोड	31
3.	आर.आर.टी.एस स्टेशन के पास	80
4.	अन्य	13
योग		**190**

5.3 मिश्रित भू-उपयोग

शहरी विकास में, मिश्रित भू-उपयोग एक अपरिहार्य आवश्यकता बन चुका है। आवासीय कालोनियों में, प्रमुख सड़कों पर, ऐसे भू-उपयोग अधिकतया विकसित हो जाते है। अतः ऐसे विकास के स्वरूप की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए निम्न प्रमुख सड़कों पर मिश्रित उपयोग अनुज्ञेय होंगे:

(i) रघु मार्ग (भवानी तोप सर्किल से जेल चौराहे तक)
(ii) मनु मार्ग (बस स्टैंड रोड जंक्शन से ज्योतिराव फूले सर्किल तक)
(iii) नरू मार्ग (जय मार्ग जंक्शन से विनय मार्ग जंक्शन तक)
(iv) जय मार्ग (होप सर्कस से नरू मार्ग जंक्शन तक)
(v) बाईपास रोड (बहरोड रोड जंक्शन से राजगढ़ रोड जंक्शन तक)
(vi) अग्रसेन सर्किल से बाईपास रोड पर नमन होटल तिराहे तक

इन सड़कों पर मास्टर प्लान में दर्शाये गये आवासीय भू-उपयोग में मिश्रित उपयोग, सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात् योजना के मूल भूखण्ड की एकल गहराई तक (अधिकतम गहराई - सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुना तक) देय होंगे।

इसके अतिरिक्त, भू-उपयोग योजना में, दिल्ली रोड के उत्तर में प्रस्तावित दो प्रमुख सड़कों एवं राजगढ़ रोड, बहरोड रोड पर भी, मानचित्र में दर्शाये अनुसार मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इन प्रस्तावित सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग निर्धारित सड़क मार्गाधिकार के बाद एकल संपत्ति गहराई या अधिकतम 90 मीटर की गहराई तक अनुज्ञेय होंगे। मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत आवासीय, सामान्य व्यावसायिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे लेकिन इसके अन्तर्गत थोक व्यापार, गोदाम, औद्योगिक या अन्य ऐसी गतिविधियाँ जिनमें भारी वाहनों का आवागमन हो तथा पर्यावरण के प्रदूषण की आंशका हो, अनुज्ञेय नहीं होंगे।

5.4 औद्योगिक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत, क्षेत्रीय केन्द्रों (अलवर) में, दिल्ली से बड़ी औद्योगिक इकाईयों को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। यद्यपि अलवर में,

पूर्व में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, विकसित किया गया, परन्तु पिछले दो दशकों में, यहाँ पर औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है, जिसका मुख्य कारण अलवर के उत्तर में भिवाड़ी, धारूहेडा, मानेसर, शाहजहांपुर, नीमराना जैसे: स्थानों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना है। तथापि अलवर की क्षेत्रीय एवं दिल्ली-अहमदाबाद बड़ी रेलवे लाईन पर स्थिति होने के कारण आशा की जाती है कि, भविष्य में यहाँ के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। अत: भू-उपयोग योजना में पुराने औद्योगिक क्षेत्र को यथावत रखते हुए, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। तथापि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण दिशा में विस्तार किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या - 26 में दर्शाया गया है:

तालिका - 26

औद्योगिक क्षेत्र, अलवर - 2031

क्र.सं.	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	पुराना औद्योगिक क्षेत्र	90
2.	मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र	1270
3.	अन्य	90
योग		**1450**

5.4 (1) अन्य क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयाँ

शहर के घने बसाव के क्षेत्र में स्थित औ़द्योगिक इकाईयों को, नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में, योजनाबद्ध रूप से स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राय से, अलग क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाईयों की भूमि पर, जिनके पुर्नउद्धार की सम्भावना नहीं बनती (i) राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 एवं (ii) Policy For Residential, Group Housing and Other Schemes in Private Sector 2010 के अन्तर्गत, पात्रता के अनुसार एफोर्डेबल हाऊसिंग योजनाएँ, एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत देय होंगी।

5.5 राजकीय कार्यालय

अलवर में, विभिन्न राजकीय कार्यालय सम्पूर्ण शहर में बिखरे रूप में स्थित है, जिसके कारण लोगों को सरकारी कार्य हेतु अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है। वर्तमान से जिलाधीश व अन्य कई कार्यालय शहर की पुरानी आबादी के मध्य स्थित है। राज्य सरकार एवं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा भवानी तोप चौराहे के पास मिनी सचिवालय विकसित कर प्रमुख राजकीय कार्यालयों को इस परिसर में स्थानान्तरित करने की योजना पर कार्यवाही की जा रही है। सभी नये स्थल जहाँ प्रमुख राजकीय कार्यालयों को, केन्द्रित रूप में, विकसित किया जा सके, भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित किये गये है। जिनका विवरण तालिका संख्या - 27 में दर्शाया गया है:

तालिका - 27

राजकीय कार्यालय, अलवर - 2031

क्र.सं	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	नया जिलाधीश कार्यालय क्षेत्र	5
2.	मोती डूंगरी सरकारी कार्यालय क्षेत्र	7
3.	उत्तर पूर्व में नये बाईपास रोड पर	18
4.	वन विभाग प्रशिक्षण केन्द्र	11
5.	अन्य	17
योग		**58**

5.5 (1) राजकीय आरक्षित क्षेत्र

अलवर में बहुत बड़ा क्षेत्र, सैनिक उपयोग के क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। इन क्षेत्रों में राईफल शूटिंग रेन्ज, ईटराना पैलेस तथा परेड मैदान स्थित है। भू-उपयोग योजना में वर्तमान इन सभी भू-उपयोगों को राजकीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल .1185 हैक्टर है।

5.6 आमोद-प्रमोद

स्वस्थ नगरीय जीवन के लिए, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद की सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। भू-उपयोग योजना में ऐसी सुविधाओं के लिए 515 हैक्टर भूमि

आवश्यकतानुसार, विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित किये गये है। इन सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

5.6 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

उद्यान एवं खुले स्थान नागरिकों के स्वस्थ्य जीवन यापन की एक मूलभूत आवश्यकता है अरावली पर्वत श्रृंखला की नैसर्गित वादी में स्थिति होने के कारण अलवर में खुले स्थान प्राकृतिक स्वरूप में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। अतः प्रस्तावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र में स्थित सभी पहाड़ियों को सघन वृक्षारोपण कर हरे-भरे क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

बड़े उद्यानों के रूप में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों के रूप में, पुराने शहर के पश्चिम में, बाला किला रोड के जंक्शन के पास, रिक्त भूमि एवं जलाशय तथा जयसमन्द झील के उत्तर में उपलब्ध पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र में करीब 165 हैक्टर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पार्क के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, अन्य पार्कों के लिए भूमि दक्षिण में, रेल्वे लाईन के पश्चिम, वेयर हाऊसिंग स्कीम के पश्चिम, इर्टराना के उत्तर में तथा उत्तर-पूर्व में प्रस्तावित बाईपास रोड पर प्रस्तावित है। भू-उपयोग योजना में यथा स्थान अन्य स्थल भी पार्क के लिए प्रस्तावित है। स्थानीय स्तर के पार्क एवं खुले स्थल आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजनायें बनाते समय किया जायेगा।

5.6 (2) स्टेडियम एवं खेल के मैदान

वर्तमान में, अलवर में, राजीव गांधी स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु भविष्य के भावी विकास को देखते हुए, उत्तर-पूर्व में साकेत कॉलोनी के उत्तर में बाईपास रोड पर एक नया स्टेडियम परिसर, 26 हैक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। साथ ही, क्षेत्रीय महत्ता को देखते हुए, अलवर में राजगढ़ रोड पर, क्षेत्रीय खेल-कूद परिसर के रूप में, 43 हैक्टर क्षेत्र में, एक खेल नगर (स्पोर्ट सिटी) भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त बहरोड रोड के पूर्व में एक प्रदर्शनी एवं मेला स्थल प्रस्तावित किया गया है।

5.6 (3) मनोरंजन केन्द्र

अलवर के पर्यटन महत्व की व्यापक सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, अलवर शहर के दक्षिण में, जयसमन्द झील से लगते हुए क्षेत्र में, मानचित्र में दशयि अनुसार, 63 हैक्टर क्षेत्र, थीम पार्क आधारित मनोरंजन हब, विकसित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस मनोरंजन हब में, डिज्नी लैंड, स्नो पार्क, 3D सिनेमा हॉल, कला केन्द्र, क्राफ्ट बाजार कैम्पिंग स्थल जैसी सुविधाएँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (4) पर्यटन सुविधाएँ

अलवर में पर्यटन की विपुल सम्भावनाएँ है। नैसर्गिक सुन्दरता यथा वन आच्छादित पहाड़ियों-घाटियों एवं अनेक झीलों के साथ ही, टाईगर एवं अन्य वन्य जीवों से परिपूर्ण जंगल एवं ऐतिहासिक महत्व की अनेक धरोहरों से सजा हुआ, यह शहर तथा इसके आस-पास का क्षेत्र, पर्यटन की दृष्टि से अपने आप में अनूठा है।

अपनी अनूठी धरोहरों के संगम एवं द्रुतगामी रेल सेवा से उपजित अवसरों के चलते, अलवर, एक सप्ताहिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की प्रचूर सम्भावनाएँ रखता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अलवर को पर्यटन विभाग के माध्यम से, साप्ताहिक पर्यटन केन्द्र (Week end Tourism), के रूप में विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत भू-उपयोग योजना में 93 हैक्टर क्षेत्र में, पर्यटक सुविधाओं हेतु दक्षिण में जयपुर रोड पर स्थल प्रस्तावित किया गया है इसमें पर्यटन सुविधाएँ जैसे रिसोर्ट, मोटल, होटल, कैम्पिंग ग्राउन्ड, जन सुविधाएँ, क्राफ्ट बाजार, बैंक, पोस्ट आफिस, पर्यटन कार्यालय, पर्यटन यातायात सुविधाएँ आदि विकसित की जायेगी।

अलवर के समीप स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य, तालवृक्ष, नटानी का बाड़ा, भर्तृहरि, नीलकण्ठ, नन्दलेश्वर आदि स्थलों की विकास योजनायें बनाकर वहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए उपयुक्त सुविधायें विकसित किया प्रस्तावित है। इन स्थलों को जाने

वाली सड़कों का भी सुधार किया जाना आवश्यक है। अलवर एवं दिल्ली से पर्यटकों के भ्रमण के लिए बसों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। अलवर में पर्यटन विकास की प्रचुर सम्भावनाओं को देखते हुए इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए एक समन्वित पर्यटन मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता है।

- **विरासत स्थलों का संरक्षण**

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों जैसे बाला किला, सिटी पैलेस, सागर, विजय मन्दिर, फतेहसिंह की गुम्बद, पुरजन विहार आदि का उचित संरक्षण किया जाना आवश्यक है। सिटी पैलेस से जिलाधीश कार्यालय के स्थानान्तरण के बाद सम्पूर्ण परिसर की सफाई, पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना चाहिये। इसी परिसर के साथ संग्रहालय एवं सागर तथा उसके किनारें की छतरियों को राज्य पुरातत्व विभाग के सहयोग से सौन्दर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इससे यह सम्पूर्ण परिसर पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा अलवर के विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु एक अलग से योजना बनाकर क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता है। इससे इन स्थलों का रख-रखाव के साथ ही यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।

5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न स्तरों पर, सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे- शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल, सामुदायिक भवन, जनोपयोगी सुविधाओं के प्रावधान मास्टर प्लान में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत, भू-उपयोग में प्रस्तावित किये गये हैं। इन सुविधाओं के लिये कुल 1220 हैक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है, जो विकास योग्य क्षेत्र का 12.40 प्रतिशत एवं नगरीय करण योग्य क्षेत्र का 10.40 प्रतिशत होगा।

5.7 (1) शैक्षणिक

अलवर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थिति की महत्ता एवं इसके प्रस्तावित द्रुतगामी रेल सेवा से जुड़ने के कारण तथा यहाँ पर उच्च शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की बढ़ती प्रवृति को देखते हुए भू-उपयोग योजना में उच्च शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न स्थलों पर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आदि शैक्षणिक सुविधाएँ, आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय प्रदान की जायेगी। ऐसी सुविधाएँ भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित अन्य सुविधायें क्षेत्र में भी अनुज्ञेय होगी।

5.7 (2) चिकित्सा

अलवर, जिला मुख्यालय होने के कारण, क्षेत्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। विगत वर्षो में, यहाँ पर निजी स्तर पर, अनेक चिकित्सालयों की स्थापना हुई है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम में प्रस्तावित इ.एस.आई अस्पताल को यथावत रखा गया है। चिकित्सा सुविधाएँ भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित अन्य सुविधाएँ क्षेत्र में भी विकसित की जा सकेगी।

छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधाएँ, जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी, मात् शिशु कल्याण केन्द्र, आदि आवासीय योजनाओं में प्रस्तावित की जा सकेगी। दिल्ली रोड पर स्थित टी.वी सैनीटोरियम को यथावत रखा गया है। डेयरी प्लांट के पास राजगढ़ रोड पर स्थित पशु चिकित्सालय को भी यथावत रखा गया हैं। वर्तमान में कार्यरत सभी प्रमुख चिकित्सा केन्द्रों को भी यथावत रखा गया है।

5.7 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु, विवाह स्थल, सार्वजनिक भवन, जैसी सुविधाओं का प्रावधान शहरी एवं निचले स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत योजना बनाते समय, आवासीय क्षेत्रों में, इन सुविधाओं का प्रावधान रखा जायेगा। इसके

अतिरिक्त भू-उपयोग योजना में, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक या अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित स्थलों में भी उक्त सुविधायें प्रदान की जा सकेगी।

5.7 (4) धार्मिक स्थल/ऐतिहासिक

मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, जैसे धार्मिक स्थलों को यथावत रखा गया है। ऐतिहासिक स्थलों के समीप के क्षेत्र को अलग से योजना बनाकर विकसित किया जाना आवश्यक है, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल होगा। भविष्य में, नये धार्मिक स्थल, स्थानीय निकाय एवं नागरिकों की सहमति से, आवासीय क्षेत्रों में विकसित किये जा सकते है।

5.7 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

अन्य सामुदायिक सुविधाओं जैसे- ड़ाक-तार घर, पुलिस थाना, दूरभाष केन्द्र, धर्मशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, टाउन हाल, विवाह समारोह स्थल, डिस्पेंसरी आदि प्रत्येक योजना क्षेत्र में, मानक स्तरों एवं जनसंख्या के आधार पर विस्तृत योजना तैयार करते समय प्रस्तावित किये जायेंगे। उक्त सुविधाएँ, भू-उपयोग योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग में भी स्थापित की जा सकेगी।

क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए धर्मशाला, रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि जन सुविधायें, भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र में, विकसित की जा सकेगी। विस्तृत योजनाएँ बनाते समय भी इन सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किये जायेगें।

5.7 (6) अन्य सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक

अलवर की विशेष महत्ता को देखते हुए अन्य सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु 510 हैक्टर क्षेत्र बहरोड़ रोड, तिजारा रोड एवं इटराना के पश्चिम में प्रस्तावित किया गया है। अलवर से दिल्ली की निकटता एवं प्रस्तावित आर.आर.टी.एस से उपजी सम्भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर आई.टी. पार्क, उच्च शैक्षणिक केन्द्र,

विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी आदि की स्थापना अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि में की जा सकेगी।

अलवर के एक प्रमुख चिकित्सा सुविधा नगर के रूप में विकसित होने की प्रवृति को देखते हुए यहाँ एक चिकित्सा नगर (Medi City) विकसित किया जा सकता है, जहाँ चिकित्सा सम्बन्धित सभी सुविधाएँ केन्द्रित रूप में उपलब्ध हो सकेगी, साथ ही यहाँ चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किये जा सकेंगे। उक्त केन्द्र भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के क्षेत्र में स्थापित किया जा सकेगा।

वर्तमान में, जिला कारागार शहर के उत्तर में तिजारा रोड एवं बहरोड रोड के जंक्शन पर स्थित है। इसके चारों तरफ शहरी विकास हो चुका है, अतः इसे बाहरी क्षेत्र में अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह से उपलब्ध हुए वर्तमान जेल परिसर को, बहुउद्देशीय उपयोग, जैसे वाणिज्यिक एवं सिटी बस स्टैंड, सामुदायिक सुविधाओं आदि हेतु प्रस्तावित किया गया है।

5.7 (7) जनोपयोगी सुविधाएँ

जनोपयोगी सुविधाओं में जलापूर्ति, जल-मल निस्तारण व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था शामिल है। अलवर के निवासियों के जीवन यापन की गुणवत्ता, जनपयोगी सुविधाओं के प्रावधानों की गुणवत्ता स्तर पर निर्भर करती है। अतः ये व्यवस्थायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। तथापि वर्तमान शहरी प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत जनोपयोगी योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम एवं नगर विकास न्यास / नगरपालिका की है। मास्टर प्लान, सम्बन्धित विभागों को, योजना तैयार करने के लिये, भू-उपयोग मानचित्र के रूप में आधारभूत रूपरेखा एवं नगर नियोजन के मानक स्तर प्रदत्त करता है। भू-उपयोग योजना में, जनोपयोगी सुविधाओं हेतु 95 हैक्टर भूमि, विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित की गयी है जहाँ ऐसे उपयोग जैसे पम्प हाऊस, विद्युत ग्रिड स्टेशन, आदि विकसित किये जा सकेंगे।

5.7(7) अ. पेयजल व्यवस्था

अलवर शहर की, भविष्य में पेयजल आपूर्ति के लिए, आर.यू.आई.डी.पी द्वारा, पेयजल योजना (2011-2041) तैयार की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत, पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु, नई पाईपलाईन, पम्पिंग स्टेशन, नये उच्च एवं भूतल जलाशय, नये जल स्त्रोत आदि प्रस्तावित है। उक्त योजना के अन्तर्गत, 7.63 लाख की आबादी के लिए, पेयजल व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। इसके पूर्ण हो जाने पर लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सकेगा। योजना के अन्तर्गत, प्रति व्यक्ति 135 लीटर, प्रतिदिन जल वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्तमान में, अलवर में, भूमिगत जल का, ट्यूबवेल के माध्यम से दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण निरन्तर भू-जल स्तर में गिरावट आ रही है। अतः अलवर में, भविष्य की जलापूर्ति के लिए, अन्य स्त्रोत को ढूंढ़ना आवश्यक है।

5.7(7) ब. जल-मल निकास

अलवर में अभी सीवरेज की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, परन्तु वर्तमान में, एक समन्वित सीवरेज योजना पर, आर.यू.आई.डी.पी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अग्यारा बांध के पास, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी निर्माणाधीन है। अतः भू-उपयोग योजना के अनुसार, सम्पूर्ण प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र को, इस योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में हानिकारक द्रव पदार्थ के उचित निस्तारण के लिए अलग से ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अलवर में, वर्षा एवं शहर के गन्दे पानी के निकास की एक बड़ी समस्या है। अतः नगर पालिका/नगर विकास न्यास के माध्यम से, शहरी ड्रैनेज की समस्या के समाधान हेतु एक विस्तृत योजना तैयार कर, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है इससे शहर में स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सकेगा तथा पुराने जलसंग्रहण के लिए बनाये गये जोहड़ो का पुर्नस्थापन किया जा सकेगा।

ठोस कचरा प्रबंधन

वर्तमान में, अलवर में ठोस कचरा प्रबंधन की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नही है। नगरपालिका के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति से ठोस कचरा प्रबन्धन की योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत, कचरा वर्गीकरण, कचरा पुनर्चक्रण एव कचरे से खाद बनाये जाने जैसे कार्यक्रम हाथ में लिये जाने प्रस्तावित है। ठोस कचरा निस्तारण हेतु, अग्यारा गाँव में वैज्ञानिक पद्धति से, कचरा निस्तारण स्थल भी विकसित किया जा रहा है। आशा है इस योजना के क्रियान्वयन से अलवर में, कचरा प्रबन्धन का कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा।

अलवर में जैविक कचरा निस्तारण निजी संस्थान द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर अनेक रासायनिक, औद्योगिक संस्थान स्थित है वर्तमान में ऐसे परिसंकटमय कचरे को उदयपुर में स्थापित संयंत्र में भेजा जाता है। यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि जैविक एवं रासायनिक कचरे के निस्तारण के लिए अलग से स्थान चिन्हित कर उनका निस्तारण किया जाये। रीको द्वारा ठोस कचरा निस्तारण स्थल का भी वैज्ञानिक पद्धति से लैण्ड फिल साईट विकसित कर कचरे का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिये।

5.7(7) स. विद्युत

अलवर में, वर्तमान में, विद्युत की आपूर्ति 220 KV के, दो सबग्रिड स्टेशन के माध्यम से की जा रही है। विद्युत वितरण व्यवस्था में भी सुधार किया जाना आवश्यक है ताकि शहर को, नियमित विद्युत आपूर्ति की जा सके। अतः विद्युत वितरण निगम द्वारा भू-उपयोग योजना के अनुरूप, विद्युत आपूर्ति हेतु, योजना बनाकर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकतानुसार छोटे ग्रिड सब स्टेशन, भू-उपयोग योजना में जनोपयोगी सुविधाओं के लिए प्रस्तावित स्थल में स्थापित किये जा सकेंगे।

5.7 (8) श्मशान एवं कब्रिस्तान

सभी वर्तमान, श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है साथ ही, इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर, नगरपालिका के माध्यम से, सघन वृक्षारोपण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। भावी शहरी

विकास को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकतानुसार ऐसे नये स्थलों का चयन किया जा सकेगा।

5.7 (9) पर्यावरण संरक्षण

अलवर शहर के प्राकृतिक तत्वों जैसे पहाड़ी, वन, जलाशय आदि की महत्ता को देखते हुए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की विशेष आवश्यकता है अतः अलवर शहर के लिए अलग से पर्यावरण मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के 29 नवम्बर 1999 के गजट अधिसूचना के अनुपालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अलवर जिले का पर्यावरण मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उक्त मास्टर प्लान में अलवर शहर के पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न सुझाव विशेष रूप से लागू किया जाना आवश्यक है:

(i.) वन भूमि संरक्षरण

अलवर के पश्चिम में पहाडियों के साथ वन भूमि है। इसमें किसी प्रकार का खनन कार्य की अनुमति नहीं दी जायेगी। वन विभाग द्वारा इसमें सघन वृक्षारोपण किया जाना वांछित है।

(ii.) पहाडी क्षेत्र

अलवर शहरी क्षेत्र के अन्दर अनेक बिखरी हुई पहाड़ियाँ है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में इन पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इन पहाड़ियों की तलहटी में यथासम्भव 30 मीटर तक के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित है, जिसमें कोई अन्य शहरी विकास अनुज्ञेय नहीं होगा।

(iii.) औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से औद्योगिक अवशिष्ट का उचित निस्पादन, सड़कों एवं खुले स्थलों में सघन वृक्षारोपण, गैर परम्परागत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, जल संग्रहण के लिए जल संग्रहण व्यवस्था लागू करना एवं अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण के लिए प्लान्ट लगाना प्रमुख है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए मास्टर प्लान में निम्न अन्य प्रावधान किये गये है:

- अलवर शहरी क्षेत्र के अन्दर से गुजर रही नहरों के साथ सर्विस रोड का प्रावधान रखा जायेगा।
- मास्टर प्लान में प्रस्तावित शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर पार्क एवं खुले स्थल प्रस्तावित किये गये है।
- उत्तर-पूर्व में नदी के साथ दोनों तरफ 100 मीटर की पट्टी सघन वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित की गयी है।
- शहर के दक्षिण में जयसमन्द झील के उत्तर की ओर एक बड़ा क्षेत्रीय उद्यान प्रस्तावित है जिसमें वृक्षारोपण के अलावा घास के मैदान, हिरण पार्क आदि विकसित किये जायेगे। उक्त पार्क में लोग पिकनिक एवं भ्रमण के लिए जा सकेंगे।
- पहाड़ियों के तलहटी में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
- सभी राजमार्गो एवं बाईपास रोड के दोनों तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के प्रस्तावों के अनुरूप प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर 30 मीटर की हरित पट्टी प्रस्तावित की गयी है।

(iv.) वर्षा जल संग्रहण/संरक्षण

पानी के स्त्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीयकरण के कारण नगरों में पानी की समस्या निरन्तर गम्भीर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान में के लिए प्राचीन तालाबों, कुंओं एवं जल स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी का पुनर्चक्रण कर पुन: उपयोग पूरे शहरी क्षेत्र में विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक भवनों, औद्योगिक इकाईयों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना बनाया जाना भी सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी तथा भवन विनियमों के अन्तर्गत जल पुर्नभरण संरचना का प्रावधान रखा गया है परन्तु इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

5.8 परिसंचरण

5.8 (1) क्षेत्रीय सम्पर्कता

वर्तमान में अलवर की दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, कोटपुतली आदि नगरों से, सड़क मार्ग की सम्पर्कता बहुत उच्च गुणवत्ता की नहीं है। जयपुर को शाहपुरा के रास्ते जोडने वाली सड़क, अच्छी दशा में नहीं है। दिल्ली के लिए तिजारा-भिवाड़ी होते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित धारूहेडा, गुडगाँव के रास्ते जाने का मार्ग है, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण, वाहनों का भार अधिक होने से सुगम यातायात नहीं हो पाता। राष्ट्रीय राजधानी मार्ग-11 पर स्थित सिकन्दरा से राजगढ़ होते हुए मेगा सड़क का निर्माण हो जाने के कारण वर्तमान में अधिकतर जयपुर का यातायात इसी मार्ग से हो रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना में रोहतक से रेवाडी सड़क को अलवर तक बनाना प्रस्तावित है। इस सड़क के बन जाने से अलवर का रेवाडी, वाया खैरथल, बाबल, रोहतक, पानीपत आदि उत्तर के नगरों से सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकेगा तथा यातायात को दिल्ली से होकर इन स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इस सड़क को वर्तमान अलवर-सिकन्दरा सड़क के साथ जोड़ते हुए, आगे सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड-शिवपुरी तक बढ़ाकर दिल्ली-मुम्बई मुख्य मार्ग से जोडा जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त सड़क राजमार्ग के रूप में 60 मीटर चौड़ाई का होगा। इसके लिए केवल वर्तमान सड़को को ही सुधार एवं चौड़ा कर उचित स्तर पर विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

अलवर-भरतपुर-मथुरा सड़क को भी विकसित किया जाना आवश्यक हैं। इससे अलवर का पूर्व की तरफ स्थित नगरों जैसेः मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि से सम्पर्क स्थापित हो सकेगा। यह अभी एक राजमार्ग के रूप में कार्यशील है। अलवर-बहरोड, अलवर-शाहपुरा आदि सड़कों का भी सुधार किया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है तथा इनका मार्गाधिकार 60 मीटर होगा।

अलवर के समीप, अनेक पर्यटन स्थल है, जो अलवर के दक्षिण में, सरिस्का के आस-पास स्थित है। वर्तमान में, इन स्थलों को जाने वाली सड़कों की दशा खराब है।

अतः इन पर्यटन स्थलों, जैसे सरिस्का, तालवृक्षा, पाण्डुपोल, भर्तृहरि, बैराठ आदि को जाने वाली सडकों का सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

5.8 (2) बाह्य क्षेत्रीय बाईपास रोड

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर की घिसाई, पालिशिंग, कटाई आदि की अनेक इकाईयाँ कार्यरत है, जिसके कारण वर्तमान में, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए, सभी भारी वाहनों को वर्तमान बाईपास रोड से होते हुए, पूर्व की ओर दिल्ली सड़क से जाना पड़ रहा है। ये सभी वाहन माल पहुंचाने के बाद दिल्ली रोड के दोनों तरफ खड़े रहते है, जिसके कारण इस मार्ग पर काफी भीड एवं अवरूद्धता बनी रहती है। पत्थर मुख्यतया राजगढ़ रोड से ट्रकों द्वारा (लगभग 400 ट्रक प्रतिदिन) लाया जा रहा है, अतः इन भारी वाहनों को मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र तक सीधा पहुचाने के लिए जयपुर रोड पर स्थित निर्भयपुरा गाँव के पास से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिजोर होते हुए क्रमशः राजगढ़ रोड, कलसोडो से उत्तर पूर्व की ओर कैरवाडा, खेडली सैयद से उत्तर दिशा में, सांकला के आगे दिल्ली रोड तक 60 मीटर चौडा बाह्य क्षेत्रीय बाईपास अलग से योजना बनाकर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस बाईपास के बन जाने के बाद, बाहर से आने वाले भारी वाहनों के अलवर शहर के विकसित क्षेत्र से गुजरने की आवश्यकता नही रहेगी।

5.8 (3) प्रस्तावित परिसंचरण व्यवस्था

किसी भी शहर की कार्य-कुशलता, उस शहर की परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करती है, जबकि परिवहन व्यवस्था की कुशलता, इस बात पर निर्भर करती है कि, वह नागरिकों को, शहर के विभिन्न स्थलों/सुविधाओं तक, कितनी आसानी से, कम समय में, कम ऊर्जा की खपत के साथ, सुरक्षित रूप से पहुँचाती है।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये, परिवहन व्यवस्था एवं भू-उपयोग को एक-दूसरे के परिपूरक के रूप में, भू-उपयोग योजना 2031 में अंकित किया गया है। इस तरह तैयार की गयी परिवहन व्यवस्था के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः

परिवहन तंत्र इस तरह प्रस्तावित किया गया है कि, जिससे भू-खण्ड स्तर से आरम्भ ट्रैफिक, आवासीय मार्ग पर आता है तथा एकत्रित होकर, आवश्यकतानुसार फीडर रोड पर, फिर क्रमशः आगे मुख्य मार्ग, सैक्टर रोड, बाईपास रोड से होता हुआ गन्तव्य स्थानों तक पहुँचता है। इसी तरह से, गन्तव्य स्थानों से क्रमशः निचले स्तर के मार्गो पर वितरित होता हुआ, भू-खण्ड स्तर तक पहुँचता है। इस तरह से तैयार किये गये रोड नेटवर्क में, सम्मिलित विभिन्न मार्गो का मार्गाधिकार, सम्भावित यातायात की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये, सड़क नेटवर्क का विवरण तालिका संख्या - 28 में दर्शाया गया है:

5.8(3)अ सड़कों का मार्गाधिकार

तालिका - 28

सड़कों का मार्गाधिकार, अलवर - 2031

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	सड़कों का न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राज्य राजमार्ग / बाईपास	60
2.	प्रमुख सडकें (Arterial Road)	45
3.	उप प्रमुख सडकें (Sub-Arterial Road)	30
4.	मुख्य सडकें (Major Road)	24
5.	अन्य महत्वपूर्ण सड़के (Other Important Road)	18
6.	अन्य सडकें (Other Road)	18 मी० से कम

5.8(3)ब शहरी बाईपास रोड

दिल्ली रोड पर हो रहे विकास को देखते हुए, दिल्ली रोड से तिजारा एवं बहरोड रोड को जोड़ते हुए, एक नया बाईपास रोड प्रस्तावित है, जो प्रथम मास्टर प्लान में प्रस्तावित बाईपास रोड के उत्तर में उसके लगभग समानान्तर उपलब्ध होगा। इसका मार्गाधिकार 60 मीटर होगा।

5.8(3)स सड़को का सुदृढ़ीकरण

निर्धारित नीति के अनुसार, वर्तमान में स्थित सड़कें, जिन्हें भू-उपयोग योजना में प्रमुख तथा मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक

सम्भव हो निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही होगा। सभी राजमार्ग क्रमशः जयपुर-बहरोड रोड, राजगढ़-तिजारा रोड, दिल्ली रोड एवं बाईपास रोड की चौड़ाई 60 मीटर होगी। सघन आबादी क्षेत्रों में जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो, वहाँ पूर्व स्वीकृतियों के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदण्ड अपनाये जा सकते है। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अलवर के नगरीय क्षेत्र में स्थित पूरे केनाल सिस्टम एवं पाल के साथ सड़कों (सर्विस रोड़)का प्रावधान किया जायेगा।

5.8(3) द. यातायात कोरिडोर

अलवर शहर के लिए, RUIDP द्वारा एक ट्रैफिक ट्रांसपोटेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत 9 मुख्य मार्गो पर यातायात कोरिडोर निर्धारित किये गये है। उक्त कोरिडोर क्रमशः रघु मार्ग, नरू मार्ग, मनु मार्ग, जय मार्ग, मंगल मार्ग, विनय मार्ग, जेल रोड, बाईपास रोड एवं दिल्ली रोड है।

इन सभी मुख्य सड़कों पर निम्न सुधार कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित हैः

1. चौराहों का सुधार, फूटपाथ, विद्युत प्रकाश, सड़क सुधार एवं सौन्दर्यीकरण।
2. टेम्पो, रिक्शा आदि खडा होने के लिए पार्किंग स्थल निर्धारण।
3. नाली, सिवरेज लाईन एवं अतिक्रमणों को हटाना।
4. सार्वजनिक यातायात कोरिडोर पर सार्वजनिक यातायात बस आधारित व्यवस्था का संचालन किया जाना।

5.8(3) य. चौराहों का सुधार

चौराहों की वर्तमान स्थिति के अध्ययन के पश्चात्, यह पाया गया कि, लगभग सभी चौराहों की रोड ज्यामितीय में सुधार की आवश्यकता है। मुख्य चौराहें जैसे भगत सिंह सर्किल, जेल सर्किल, हास्पिटल चौराहा, काली मोरी टी जक्शन, भवानी तोप चौराहा, हनुमान चौराहा, तिजारा रोड - बहरोड रोड जंक्शन, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र चौराहा, रामगढ़ रोड - बाईपास रोड चौराहा, ट्राफिक पुलिस कन्ट्रोल रूम - बस स्टैड

चौराहा, मनुमार्ग चौराहा, मुगस्का चौराहा, होप सर्कस चौराहा, स्टेशन रोड चौराहा, नंगली का चौराहा आदि आर.यू.आई.डी.पी के प्रस्तावित यातायात योजना में चिन्हित किये गये है। इन सभी चौराहों का विकास योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

5.8(3) र. पार्किंग व्यवस्था

वर्तमान में, अलवर में, पार्किंग की कोई व्यवस्थित सुविधा नहीं होने के कारण ज्यादातर क्षेत्रों में, सड़क पर ही पार्किंग की जाती है, जिसके कारण, यातायात संचालन में व्यवधान पड़ता है तथा सड़कों की क्षमता कम हो जाती है। अतः शहर के केन्द्रिय क्षेत्रों में समुचित पार्किंग व्यवस्था विकसित किये जाने के लिए होप सर्कल के निकट स्थित, तांगा स्टैड एवं तेज टॉकिज पर उपलब्ध स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित स्थलों पर, पार्किंग व्यवस्था विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। शेष क्षेत्रों में ट्रैफिक मैनेजमैंट के माध्यम से, पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

5.8(3) ल. सार्वजनिक यातायात प्रणाली

वर्तमान में अलवर में प्रमुख मार्गो पर सार्वजनिक बस सुविधा (अलवर वाहिनी) उपलब्ध है। इस व्यवस्था से शहर के यातायात समस्या में काफी सुधार हुआ है तथा पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आयी है। अभी यह व्यवस्था सीमित मार्गो पर ही उपलब्ध है अतः इस व्यवस्था को शहर के सभी कारिडोर एवं प्रमुख स्थल जैसेः राजकीय कार्यालय, अस्पताल, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैड आदि तक विस्तार किया जाना चाहिए।

भू-उपयोग योजना में शहरी क्षेत्र की परिसंचरण व्यवस्था के लिए एक कार्यशील सड़क प्रणाली प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित सड़क योजना के अनुरूप यातायात विभाग द्वारा यात्री भार के आंकलन के आधार पर शहर के लिए सार्वजनिक यातायात मास्टर प्लान बनाया जाना आवश्यक है। द्रुतगामी रेल व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के समीप पर्याप्त पार्किंग सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। यहाँ से नगरीय बस सेवा को भी सभी कार्यस्थलों तक उपलब्ध कराया जाना

आवश्यक होगा। वास्तव में यह नगरीय जन परिवहन सुविधा का मुख्य केन्द्र होगा। जेल के स्थानान्तरित होने के बाद शहरी यातायात के लिए इस परिसर में भी एक केन्द्रीय नगरीय बस स्टैड विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सड़क कोरिडोर के साथ बाईपास रोड, दिल्ली रोड, राजगढ़ रोड, तिजारा रोड, बहरोड रोड को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक यातायात प्रणाली का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

5.8(3) ह. पारगमन उन्मुख विकास केन्द्र (Transit Oriented Development)

द्रुतगामी रेल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने के क्रम में प्रस्तावित द्रुतगामी रेलवे स्टेशन के साथ लगते हुए लगभग 33 हैक्टर क्षेत्र में एक पारगमन उन्मुख विकास केन्द्र प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में आर.आर.टी.एस. से संबंधित सुविधाएँ यथा पार्किंग, होटल, व्यावसायिक व अन्य सुविधाएँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.8(4) बस एवं ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में, अलवर में, एक ट्रक टर्मिनल कार्यरत है, परन्तु इसकी स्थिति, शहर के विकसित क्षेत्रों के बीच होने के कारण, इसका उपयोग, बहुत सुविधाजनक नहीं है जिसके कारण राजगढ़ रोड की तरफ से, मत्स्य औद्योगिक की तरफ आने वाले ट्रक सामान्यतः दिल्ली रोड पर ही पार्क कर दिये जाते है अतः दिल्ली रोड की सारी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। वर्तमान ट्रक टर्मिनल से, उपजी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, एक नया ट्रक टर्मिनल मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर, 29 हैक्टर में, प्रस्तावित किया गया है।

अलवर का वर्तमान बस स्टैड घनी बसावट के क्षेत्र में स्थित है। बाहरी सड़कों से आने वाली बसों को वर्तमान बस स्टैड तक जाने के लिए संकरी सड़कों से जाना पड़ता है। अतः एक नया बस टर्मिनल एवं बस डिपो दिल्ली रोड एवं वर्तमान बाईपास के जंक्शन पर (हनुमान चौराहा), 9 हैक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।

5.8(5) द्रुतगामी रेल सेवा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय बोर्ड के द्वारा, अलवर को दिल्ली से जोड़ने हेतु एक द्रुतगामी रेल सेवा अनुमोदित की गयी है। यह रेल सेवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य प्रमुख औद्योगिक / वाणिज्यिक केन्द्रों, यथा शाँहजहापुर-निमराना-बहरोड़, बाबल, मानेसर, गुड़गांव आदि को जोड़ते हुए दिल्ली पहुचेगी। इस व्यवस्था से अलवर का सम्पर्क बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक बाजार से तीव्र गति से जुड जायेगा जिससे अलवर के विकास की गति को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा से सम्बन्धित रेल्वे स्टेशन तथा यार्ड हेतु आवश्यक क्षेत्र, भू-उपयोग योजना 2031 मानचित्र में प्रस्तावित किया गया है।

5.8(6) राजमार्ग कोरिडोर जोन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित नीति के क्रम में शहरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राजगढ़ रोड, दिल्ली रोड, तिजारा रोड एवं बहरोड़ रोड के दोनों तरफ सड़क के मार्गाधिकार को छोड़ते हुए राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 500-500 मीटर चौड़ा राजमार्ग कोरिडोर जोन प्रस्तावित किया गया है। इस जोन में राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड द्वारा लागू क्षेत्रीय योजना 2021 में अनुज्ञेय गतिविधियाँ या इनके अधीन बनाई जाने वाली उप क्षेत्रीय योजना या अन्य सम्बन्धित उपयोजनाएँ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपयोग आदि अनुज्ञेय होंगे।

5.9 क्षेत्रीय परिवेश

सिकन्दरा से अलवर-किशनगढ बास-तिजारा की मुख्य सड़क के निर्माण होने के कारण अलवर से दिल्ली के लिए यह प्रमुख मार्ग बन गया है। भविष्य में यह सड़क अलवर-दिल्ली की मुख्य कोरिडोर के रूप में कार्य करेगी। इस सड़क पर स्थित चिकानी (15 कि.मी.) तथा किशनगढ़ बास (37 कि.मी.) जैसे स्थान तीव्र गति से विकसित हो रहे है। चिकानी अलवर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर अनेक शैक्षणिक संस्थान विकसित हो गये है तथा यह शैक्षणिक केन्द्र के रूप में स्थापित हो रहा है।

अतः इसके लिए नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा प्रथक से विकास योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर में किशनगढ़ बास की आबादी करीब 13,000 है तथा यह तीव्र विकास की दिशा में अग्रसर है। इसी प्रकार प्रस्तावित आर.आर.टी.एस. अलवर से खैरथल के बीच वर्तमान रेलवे लाईन के साथ-साथ प्रस्तावित है। आर.आर.टी.एस के साथ-साथ एक सड़क भी प्रस्तावित होगी जिससे अलवर से खैरथल सीधा जुड़ जायेगा एवं आर.आर.टी. एस. के रूट पर एक महत्वपूर्ण स्थानक होगा। खैरथल की आबादी करीब 45,000 है तथा यह मण्डी एवं औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित है। उक्त विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए अलवर शहर एवं भिवाड़ी तथा बहरोड़ के बीच स्थित किशनगढ़ बास तथा खैरथल इन दो प्रमुख नगरों को अलवर के सैटेलाईट टाऊन्स के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन दोनों शहरों के लिए समन्वित विकास योजनायें बनाकर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.10 उपांत पट्टी योजना क्षेत्र

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य स्थित ग्रामीण क्षेत्र को यथावत रखा गया है। इस क्षेत्र में, स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा, अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में, कृषि सेवा केन्द्र, राज्य मार्ग सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे गिट्टी, क्रेशर, ईट एवं चूना भट्टा एवं राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड द्वारा लागू क्षेत्रीय योजना 2021 में अनुज्ञेय गतिविधियाँ या इनके अधीन बनाई जाने वाली उप क्षेत्रीय योजना या अन्य सम्बन्धित उपयोजनाएँ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपयोग आदि अनुज्ञेय होंगे। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 15,524 हैक्टर है।

योजना का क्रियान्वयन 6

मास्टर प्लान, किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्तरूप प्रदान किया जा सकता है जब, इसके क्रियान्वयन के लिए शक्तिशाली कदम, निर्धारित समय में उठाये जायें।

अलवर के मास्टर प्लान के, सफल क्रियान्वयन के लिए, यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए है मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए, समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से, शहर का नियोजित विकास करें। यह भी आवश्यक है कि, विभिन्न विभाग समन्वय स्थापित रखते हुए, विकास कार्यो में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ, वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक, मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन के मूल आधार है।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान में नगर विकास न्यास, अलवर - राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत शहर में विकास कार्य कर रहा है। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी न्यास की है। यहाँ पर, अलवर नगर परिषद भी कार्यरत है। जो शहर में मुख्य रूप से सफाई, रोशनी, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों के रख-रखाव आदि की व्यवस्था करता है। नगर परिषद, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 1959 के तहत, अपने क्षेत्र में विकास कार्य करती है। शहर में अनेक अन्य सार्वजनिक संस्थायें जैसे: कैण्टोनमेंट, रेलवे, रीको, आवासन मण्डल आदि है जो अपने क्षेत्रों में निर्धारित एक्ट/अधिनियमों एवं मानदण्डों के आधार पर ही विकास कार्य करती है। मास्टर प्लान के प्रस्तावों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, सभी संस्थाओं में, पारस्परिक सहयोग एवं तालमेल बहुत आवश्यक है ताकि योजना के अनुरूप, शहरी क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास किया जा सके।

अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो के समन्वयन के लिए, स्थानीय स्तर पर, जिलाधीश अलवर की अध्यक्षाता में एक कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है। नगर विकास न्यास, अलवर के सचिव, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना, राजस्थान, उप क्षेत्र के निदेशक के रूप में पदस्थापित है, परन्तु यथोचित संस्थागत ढ़ाचा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस प्रणाली को अपेक्षित काम करने में कठिनायी है।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

नगर का विकास, अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्क है। नागरिक जागरूकता ही, नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि, शहर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

अलवर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण, विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय, पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई, भू-उपयोग योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का, समायोजन नहीं हो पाया है तो उसे समायोजित माना जायेगा।

मानचित्र में नदी, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन, प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से, किसी का अंकन नहीं हो पाया हो, तो भी उनकी वास्तवित स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण /नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे

सूखे रह गये हो। क्रियान्वयन से पूर्व, उक्त कार्यवाही, स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर, सुनिश्चित की जाएगी।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों के क्रियान्वयन के लिए, आवश्यक होने की स्थिति में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार

मास्टर प्लान, भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षो की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते है। अलवर का मास्टर प्लान तैयार करते समय, एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएँ विकसित कर, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि कर और अलवर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही, यह योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट - 1 (अ)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु:

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढ़ांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार योजनाएं तैयार की जायें और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया:

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में

विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आंमत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाए गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6- मास्टर प्लान का सरकार को को प्रस्तुत किया जाना:

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7- मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख:

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन मे आ जायेगा।

परिशिष्ट-1 (ब)

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferrd by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959)] the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

(1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".
(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
(2) "Turst" means a Trust as constituted under the Act,
(3) "Section" means a Section of the Act,
(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

[1]["(1) The draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office fo the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invition suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions wit respect to the draft of the Master Plan][2].

_____:-

1. Substituted by clause 2 of the Notification No. F.3(123)TP/36, date 24.02.1970 vide C.S.R. 96 Pub. In Raj. Gaz. Extra-Ordi, Part. IV-C, dated 24.02.1970 at Page 329-331.
2. Amended & Added vide Notification No. F.7(19)TP/11/76 date 21.09.1979 R.G.Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 Page 339.

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Drafer Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-

a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

d. Written analysis and written statement to support the proposals.

e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fir or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

[1][(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same [2][if constituted] to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof wouold be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."]

_____:-

1. Substituted by clause 2 of the Notification No. F.3(123)TP/36, date 24.02.1970 vide C.S.R. 96 Pub. In Raj. Gaz. Extra-Ordi, Part. IV-C, dated 24.02.1970 at Page 329-331.
2. Amended & Added vide Notification No. F.7(19)TP/11/76 date 21.09.1979 R.G.Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 Page 339.

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 10(23)/न.वि.वि./3/10 जयपुर, दिनांक: 13.10.2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर को अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील अलवर के 76 राजस्व ग्रामों एवं तहसील रामगढ़ के 10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम
तहसील अलवर						तहसील रामगढ़	
1.	तुलेडा	27.	सालपुरी	53.	खोहरा	76.	रूंध धूनीनाथ
2.	गाजीका	28.	भजीट	54.	सोनावा	77.	सांखला
3.	रायसीस	29.	गूंदपुर	55.	मदनपुरी	78.	बहाला
4.	नंगला समावदी	30.	झारेडा	56.	दादर	79.	ढाढोली
5.	धोली दूब	31.	केरवा जाट	57.	बाढ़ केसरपुर	80.	कमालपुर
6.	बल्ला बोडा	32.	डाडा	58.	बल्लाना	81.	गोलेटा
7.	रूंध निदानी	33.	ककराली जाट	59.	उमरेण	82.	बटेसरा
8.	रूंध भाखेडा	34.	खेडली सैयद	60.	चान्दूकी	83.	केसरोली
9.	भाखेडा	35.	डुमेडा	61.	रायबका	84.	चोरोटी पहाड
10.	लिवारी	36.	नाहरपुर	62.	मौजदीका	85.	अग्यारा
11.	केसरपुर	37.	देसूला	63.	बहादरपुर पट्टी कानूगो	86.	लोहारवाडी
12.	बुर्जा	38.	घेघोली	64.	चिकानी		
13.	भूगोर	39.	कैमाला	65.	सैंथली		
14.	सामोला	40.	अलवर सिटी	66.	बल्देव बास		
15.	ईटाराणा	41.	मूंडिया खेडा	67.	किशनपुर		
16.	वेरका	42.	चिरखाना	68.	पैतपुर		
17.	पालका	43.	नांगल झीडा	69.	श्योदानपुरा		
18.	देवखेड़ा	44.	जाहरखेडा	70.	लोधाड़ी		
19.	बेलाका	45.	उलाहेडी	71.	पडीसल		
20.	दिवाकरी	46.	ठेकडा	72.	नौरंगाबाद		
21.	मूंगसका	47.	नगली मुन्शी	73.	सिरमौली		
22.	खुदनपुरी	48.	कडूकी	74.	मिल्कपुर		
23.	मन्नाका	49.	जटियाना	75.	कारोली		
24.	खानपुर जाट	50.	कीटोडा				
25.	नंगला चारण	51.	दाउदपुर				
26.	गूजूकी	52.	नगली कोता				

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन उप सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवा कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3- मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
4- वरिष्ठ नगर नियोजक, अलवर जोन, अलवर।
5- जिला कलक्टर, अलवर।
6- सचिव नगर विकास न्यास, अलवर।
7- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अलवर।
8- रक्षित पत्रावली।

उप नगर नियोजक

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 10(23)/न.वि.वि./3/2011 जयपुर, दिनांक: 17.09.2012

संशोधित अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा अलवर के नगरीय क्षेत्र हेतु जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक: 13.10.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न दो राजस्व ग्राम तहसील अलवर के नगरीय क्षेत्र में और जोड़े जाते है:-

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाग	तहसील
87	तेहडपुर	अलवर
88	दिलावरपुर	अलवर

राज्यपाल की आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1- अधीक्षक, राजस्थान केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3- जिला कलक्टर, अलवर।
4- मुख्य नगर नियोजक, (एनसीआर) राजस्थान, जयपुर।
5- सचिव नगर विकास न्यास, अलवर।
6- रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक